

भाषा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०

प्रस्तावना:

भाषा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा (२२६) को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (१०२) बमोजिम गाउँसभाले यो ऐन बनाईएको छ ।

१. **सक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यस ऐनको नाम “भाषा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०” रहेको छ ।
(२) यो ऐन २०८० साल श्रावण १ गते बाट भाषा गाउँपालिका क्षेत्र भित्र लागू हुनेछ ।
२. **सम्पति करः** भाषा गाउँपालिका क्षेत्र भित्र सम्पति करको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने करदाताहरू लाई “अनुसूचि (१)” बमोजिम सम्पति कर लगाईने र असुलउपर गरिनेछ ।
३. **भूमिकर (मालपोतः)**: सम्पति करको दायरा भित्र नपर्ने भाषा गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका जग्गाको उपभोगका आधारमा “अनुसूचि (२)” बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाईने र असूल उपर गरिनेछ । एकिकृत सम्पति कर लगाएको जग्गामा भूमि कर लाग्ने छैन ।
४. **घरबहाल तथा जग्गा जमिन बहालकर :** भाषा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संघ सस्थले भवन, घर, पसल, र्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक रूपमा वहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा “अनुसूचि (३)” बमोजिम घरबहाल जग्गा जमिन बहाल कर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।
५. **व्यापार व्यवसाय करः** भाषा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा “अनुसूचि ४” बमोजिम व्यापार व्यवसाय कर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।
६. **पूर्वाधार सेवा शुल्क तथा अन्य सेवा शुल्क ::** भाषा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सवारी साधनमा “अनुसूचि (५)” बमोजिम सवारी साधन कर तथा पूर्वाधार सेवा शुल्क लगाईने र असुलउपर गरिनेछ ।
७. **विज्ञापन करः** भाषा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने वा गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विज्ञापनमा “अनुसूचि (६)” बमोजिम विज्ञापन कर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।
८. **मनोरञ्जन करः** भाषा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने वा गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र मनोरञ्जन व्यवसाय सेवमा “अनुसूचि (७)” बमोजिम मनोरञ्जन व्यवसाय कर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।
९. **बहाल विटौरी कर तथा शुल्कः** भाषा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका हाट बजार, पसल वा सरकारी जग्गामा “अनुसूचि-८” बमोजिममा उल्लेख भए अनुसार बहाल विटौरी कर तथा शुल्क लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।
१०. **प्राकृतिक श्रोत उपयोग करः** भाषा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संघ सस्थाले प्रचलित कानूनले निषेध गरिएका बाहेक तथा गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्रका प्राकृतिक श्रोत सँग सम्बन्धित बस्तुमा “अनुसूचि-९” बमोजिम कर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।

- ११. हाटबजार करः** भापा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र साप्ताहिक तथा दैनिक रुपमा लाग्ने हाट बजारमा विकि वितरण हुने बस्तु तथा सेवामा “अनुसूचि-१०” बमोजिममा हाटबजार कर लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।
- १२. पार्किङ शुल्कः** भापा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारीका साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत “अनुसूचि-११” बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।
- १३. पर्यटन शुल्कः** भापा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण गरेका उद्यान, पार्क, चिडियाखान, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा, संग्रहालय जस्ता सम्पदा उपयोग गरे वापत पर्यटकहरूबाट “अनुसूचि-१२” मा उल्लेखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।
- १४. दस्तुर, सिफारिस तथा सेवा शुल्कः** भापा गाउँपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका “अनुसूचि-१३” मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराएको सेवामा सेवाग्रही बाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसर दस्तुर, सिफारिस तथा सेवा शुल्क लगाईन र असुल उपर गरिनेछ ।
- १५. दण्ड सजाय, जरिवाना तथा कर छुटः** यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संघ संस्थाहरूलाई सम्बन्धित कर शिर्षकहरूका “अनुसूचि-१४” मा उल्लेख भए बमोजिमको दण्ड सजाय, जरिवाना लगाईने र असुलउपर गरिनेछ साथै सम्बन्धित अनुसूचिको विषयगत शिर्षक र नोटमा उल्लेख भए बाहेक कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।
- १६. अनुसूचिमा उल्लेख नभएका करका दरका सम्बन्धमा साविकमा कायम भएको करको दर लागु हुनेछ । साविकमा समेत उल्लेख नभएका र विवादित करका दर दायरा र क्षेत्रको सम्बन्धमा गाउँ कार्यपालिकाले कर निर्धारण गरेमा यसै ऐन सरह भएको मानी आगामी गाउँ सभावाट अनुमोदन गरिनेछ ।**
- १७. कर तथा शुल्क सङ्घलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि:** यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क सङ्घलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

अनुसूची - १

सम्पत्ति कर

यस झापा गाउँपालिकामा एकीकृत सम्पत्ति कर लागु नभएकाले तपसिल बमोजिमको घरधुरी कर निर्धारण गरिएको छ ।

| सि. नं. | विवरण | दस्तुर (बार्षिक) |
|---|-----------------------------------|------------------|
| १ | कच्ची फुसको छाना भएको १ तले घर | रु. ५० |
| २ | कच्ची फुसको छाना भएको २ तले घर | रु ७५ |
| ३ | काठको घर टिनको छाना भएको १ तले घर | रु १०० |
| ४ | काठको घर टिनको छानो भएको २ तले घर | रु १२५ |
| ५ | पक्कि घर टिनको छाना भएको १ तले घर | रु १५० |
| ६ | पक्कि घर टिनको छाना भएको २ तले घर | रु २०० |
| ७ | पक्कि घर ढलान १ तले | रु २५० |
| ८ | पक्कि घर ढलान २ तले | ३०० |
| (सो माथि प्रत्येक थप एक तलामा रु १०० बढोत्तरी हुने) | | |

अनुसूची-२

भूमिकर (मालपोत)

सम्पत्ति करको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने जग्गा जमिनको हकमा देहाय बमोजिम भूमिकर (मालपोत) को दर प्रस्ताव गरिएको छ ।

| सि. नं. | विवरण | दस्तुर (बार्षिक) | |
|---------|-----------------------------|------------------|--|
| | | कृषियोग्य भूमि | गैरकृषि योग्य भूमी (आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य) |
| १ | प्रति कठ्ठा | रु. ४०।०० | रु. ६०।०० |
| २ | चिया बगान, नसरी प्रति कठ्ठा | रु. ४०।०० | |

नोट :

- सि.नं. १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि गाउँपालिका क्षेत्रका कृषियोग्य भुमि र गैरकृषियोग्य भूमीमा न्युनतम भूमिकर(मालपोत) क्रमशः रु ४० र ६० कायम गरिनेछ ।
- मालपोत बक्यौताका जरिवाना सम्बन्धमा चालु आ.व.को आर्थिक ऐनले तोकेबमोजिमको दरमा प्रत्येक वर्ष १०% का दरले थप जरिवाना शुल्क लाग्नेछ ।

अनुसूची - ३

घरवहाल तथा जग्गा जमिन बहालकर

| १. घर बहाल कर तथा जग्गा बहाल कर | | करको दर | यूनिट |
|---------------------------------|---|---------|---------|
| १.१ | आफ्नो घर, पसल, र्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड, कारखाना, आदी पुरै वा असिक रूपमा भाडामा दिईएकोमा घर बहाल करको हकमा भाडा रकमको मासिक | १०% | प्रतिसत |
| १.२ | सस्थागत घर, पसल, र्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड, कारखाना, आदी पुरै वा असिक रूपमा भाडामा दिईएकोमा घर बहाल करको हकमा भाडा रकमको मासिक | १०% | प्रतिसत |
| १.३ | कुनै सम्पति तथा जग्गा जमिन धनीले आफ्नो जग्गा जमिन विभिन्न कामको प्रयोजनाकालागी कसैलाई भाडामा दिएकोमा उक्त जग्गा जमिन भाडामा लगाएकोमा भाडा रकमको मासिक | ७% | प्रतिसत |

कैफियत:

- वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीका परिवारका हकमा विशेष सहुलियत प्रदान गर्दै तोकिएको दरमा २५% मात्र कर कायम गरिनेछ ।

अनुसूची - ४

ब्यापार व्यवसाय कर (बार्षिक कारोबारका आधारमा):

१ उद्योग कलकारखाना तथा व्यवसायिक फर्म समेत

| क्र.सं. | विवरण | दर रु | कैफियत |
|---|--|----------|--------|
| क) चिया फारम, कफि फारम तथा सो संग सम्बन्धित उद्योग समेत | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | १०००१० | |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १२००१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २५ लाख सम्म | २५००१० | |
| ४ | २५ लाख १ देखि ५० लाख सम्म | ५५००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ११०००१० | |
| ६ | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ३००००१० | |
| ७ | ५ करोड देखि माथी प्रति करोड | ६०००१० | |
| ख) कृषि तथा पशुपन्थी र माछा पालन व्यवसाय | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● धान, गहू, मकै, फापर लगायतका अन्न बाली, दालहन, तेलहन, तरकारी तथा फलफुल, मौरि पालन, नरिवल तथा सुपारी खेती लगायतका व्यवशायीक कृषि उत्पादन | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|--------|---|---|--------|---|---|--------|--|-----------------------------|---------|---|-----------------------------|--------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> गाई, भैसी, सुंगुर तथा बंगुर पालन, बाघा तथा खसी पालन, माछा पालन, कुखुरा तथा हाँस पालन, मौरी पालन लगायतका पशुपन्थी पालन (दुध तथा मासु समेतकालागी) संग सम्बन्धित उद्योग तथा फर्म | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>१</td><td>१० लाख सम्म</td><td>५००१०</td></tr> <tr> <td>२</td><td>१० लाख १ देखी २५ लाख सम्म</td><td>१०००१०</td></tr> <tr> <td>३</td><td>२५ लाख १ देखी ५० लाख सम्म</td><td>१५००१०</td></tr> <tr> <td>४</td><td>५० लाख १ देखी १ करोड सम्म</td><td>२०००१०</td></tr> <tr> <td>५</td><td>१ करोड १ देखी ५ करोड सम्म</td><td>५०००१०</td></tr> <tr> <td>६</td><td>५ करोड देखी माथी प्रति करोड</td><td>११००१०</td></tr> </tbody> </table> | १ | १० लाख सम्म | ५००१० | २ | १० लाख १ देखी २५ लाख सम्म | १०००१० | ३ | २५ लाख १ देखी ५० लाख सम्म | १५००१० | ४ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | २०००१० | ५ | १ करोड १ देखी ५ करोड सम्म | ५०००१० | ६ | ५ करोड देखी माथी प्रति करोड | ११००१० | <ul style="list-style-type: none"> ७ जना भन्दा बढि लाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेको हकमा १० % छुट हुने | | | |
| १ | १० लाख सम्म | ५००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | १० लाख १ देखी २५ लाख सम्म | १०००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | २५ लाख १ देखी ५० लाख सम्म | १५००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | २०००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | १ करोड १ देखी ५ करोड सम्म | ५०००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | ५ करोड देखी माथी प्रति करोड | ११००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ग) अन्न, दालहन, तेलहन, तरकारी तथा फलफुल लगायतका कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी विभिन्न प्रकारका खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने लघु, घरेलु, साना तथा ठूला खाद्य उद्योग</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>१</td><td>१० लाख सम्म</td><td>५००१०</td></tr> <tr> <td>२</td><td>१० लाख १ देखी २० लाख सम्म</td><td>७००१०</td></tr> <tr> <td>३</td><td>२० लाख १ देखी ५० लाख सम्म</td><td>१२००१०</td></tr> <tr> <td>४</td><td>५० लाख १ देखी १ करोड सम्म</td><td>२०००१०</td></tr> <tr> <td>५</td><td>१ करोड १ देखी २ करोड सम्म</td><td>३५००१०</td></tr> <tr> <td>६</td><td>२ करोड १ देखी ५ करोड सम्म</td><td>७०००१०</td></tr> <tr> <td>७</td><td>५ करोड देखी माथी प्रति करोड</td><td>१५००१०</td></tr> </tbody> </table> | १ | १० लाख सम्म | ५००१० | २ | १० लाख १ देखी २० लाख सम्म | ७००१० | ३ | २० लाख १ देखी ५० लाख सम्म | १२००१० | ४ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | २०००१० | ५ | १ करोड १ देखी २ करोड सम्म | ३५००१० | ६ | २ करोड १ देखी ५ करोड सम्म | ७०००१० | ७ | ५ करोड देखी माथी प्रति करोड | १५००१० | <ul style="list-style-type: none"> ● १५ जना भन्दा बढि लाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेको हकमा १० % छुट ● अर्गानिक उत्पादन गर्नेको हकमा थप ५ % छुट |
| १ | १० लाख सम्म | ५००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | १० लाख १ देखी २० लाख सम्म | ७००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | २० लाख १ देखी ५० लाख सम्म | १२००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | २०००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | १ करोड १ देखी २ करोड सम्म | ३५००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | २ करोड १ देखी ५ करोड सम्म | ७०००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | ५ करोड देखी माथी प्रति करोड | १५००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>घ) दुग्ध प्रशोधन तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन, पानी प्रशोधन साथै माछा मासु प्रशोधन तथा उत्पादन संग सम्बन्धित सबै प्रकारका उद्योग तथा चिस्यान केन्द्र</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>१</td><td>१५ लाख सम्म</td><td>५००१०</td></tr> <tr> <td>२</td><td>१५ लाख १ देखी २५ लाख सम्म</td><td>७५०१०</td></tr> <tr> <td>३</td><td>२५ लाख १ देखी ५० लाख सम्म</td><td>१०००१०</td></tr> <tr> <td>४</td><td>५० लाख १ देखी १ करोड सम्म</td><td>२०००१०</td></tr> <tr> <td>५</td><td>१ करोड १ देखी २ करोड सम्म</td><td>५०००१०</td></tr> <tr> <td>६</td><td>२ करोड १ देखी ५ करोड सम्म</td><td>१००००१०</td></tr> <tr> <td>७</td><td>५ करोड देखी माथी प्रति करोड</td><td>२५००१०</td></tr> </tbody> </table> | १ | १५ लाख सम्म | ५००१० | २ | १५ लाख १ देखी २५ लाख सम्म | ७५०१० | ३ | २५ लाख १ देखी ५० लाख सम्म | १०००१० | ४ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | २०००१० | ५ | १ करोड १ देखी २ करोड सम्म | ५०००१० | ६ | २ करोड १ देखी ५ करोड सम्म | १००००१० | ७ | ५ करोड देखी माथी प्रति करोड | २५००१० | <ul style="list-style-type: none"> १० जना भन्दा बढि लाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेको हकमा १० % छुट हुने |
| १ | १५ लाख सम्म | ५००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | १५ लाख १ देखी २५ लाख सम्म | ७५०१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | २५ लाख १ देखी ५० लाख सम्म | १०००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | २०००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | १ करोड १ देखी २ करोड सम्म | ५०००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | २ करोड १ देखी ५ करोड सम्म | १००००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | ५ करोड देखी माथी प्रति करोड | २५००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ड) किसानको सामान कुटानी पिसानी गर्ने मिल मात्र</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>१</td><td>कुटानी तथा पिसानी मात्र</td><td>४००१०</td></tr> <tr> <td>२</td><td>कुटानी, पिसानी तथा पेलानी समेत</td><td>६००१०</td></tr> <tr> <td>३</td><td>कुटानी, पिसानी, पेलानी र चिउरा समेत</td><td>९०००१०</td></tr> <tr> <td>४</td><td>कुटानी, पिसानी, पेलानी, चिउरा र मसला जन्य पदार्थ समेत</td><td>१५००१०</td></tr> <tr> <td>५</td><td>कुटानी, पिसानी, पेलानी, तथा सामान्य विक्रि वितरण समेत</td><td>५०००१०</td></tr> </tbody> </table> | १ | कुटानी तथा पिसानी मात्र | ४००१० | २ | कुटानी, पिसानी तथा पेलानी समेत | ६००१० | ३ | कुटानी, पिसानी, पेलानी र चिउरा समेत | ९०००१० | ४ | कुटानी, पिसानी, पेलानी, चिउरा र मसला जन्य पदार्थ समेत | १५००१० | ५ | कुटानी, पिसानी, पेलानी, तथा सामान्य विक्रि वितरण समेत | ५०००१० | <ul style="list-style-type: none"> १) ५ जना भन्दा बढि लाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेको हकमा १० % छुट हुने | | | | | | |
| १ | कुटानी तथा पिसानी मात्र | ४००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | कुटानी, पिसानी तथा पेलानी समेत | ६००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | कुटानी, पिसानी, पेलानी र चिउरा समेत | ९०००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | कुटानी, पिसानी, पेलानी, चिउरा र मसला जन्य पदार्थ समेत | १५००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | कुटानी, पिसानी, पेलानी, तथा सामान्य विक्रि वितरण समेत | ५०००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>च) चिनि, मिश्री तथा चकलेट उद्योग, पापड, चिप्स तथा पाउरोटी उद्योग, बरफ तथा आइसक्रूम उद्योग लगायतका</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>१</td><td>५ लाख सम्म</td><td>५००१०</td></tr> <tr> <td>२</td><td>५ लाख १ देखी १५ लाख सम्म</td><td>७००१०</td></tr> </tbody> </table> | १ | ५ लाख सम्म | ५००१० | २ | ५ लाख १ देखी १५ लाख सम्म | ७००१० | १० जना भन्दा बढि लाई प्रत्यक्ष | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | ५००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | ५ लाख १ देखी १५ लाख सम्म | ७००१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------------|---------|--|
| ३ | १५ लाख १ देखी २५ लाख सम्म | १००१० | रोजगारी दिनेको हकमा १० % छुट हुने |
| ४ | २५ लाख १ देखी ५० लाख सम्म | १५००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | २०००१० | |
| ६ | १ करोड १ देखी २ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ७ | २ करोड १ देखी ५ करोड सम्म | ७०००१० | |
| ८ | ५ करोड देखि माथी प्रति करोड | १५००१० | |
| छ) पशु पन्थी आहार तथा दाना उद्योग, | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | ५००१० | १० जना भन्दा बढि लाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेको हकमा १० % छुट हुने |
| २ | ५ लाख १ देखी १५ लाख सम्म | ७५०१० | |
| ३ | १५ लाख १ देखी २५ लाख सम्म | १०००१० | |
| ४ | २५ लाख १ देखी ५० लाख सम्म | १५००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | २०००१० | |
| ६ | १ करोड १ देखी २ करोड सम्म | ३०००१० | |
| ७ | २ करोड १ देखी ५ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ८ | ५ करोड देखि माथी प्रति करोड | १०५०१० | |
| ज) विउ विजन तथा फलफुल तथा तरकारी र विभिन्न प्रकारका बोट विरुवा उत्पादन नर्सरी , उद्योग तथा फर्म | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | ५००१० | ५ जना भन्दा बढि लाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेको हकमा १० % छुट हुने |
| २ | ५ लाख १ देखी १० लाख सम्म | ७५०१० | |
| ३ | १० लाख १ देखी २० लाख सम्म | १०००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखी ५० लाख सम्म | १५००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | २०००१० | |
| ६ | १ करोड १ देखी ५ करोड सम्म | ३०००१० | |
| ७ | ५ करोड देखि माथी प्रति करोड | ६५०१० | |
| झ) औषधी उद्योग, जडिबुटी प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योग | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | १०००१० | १० जना भन्दा बढि लाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेको हकमा १० % छुट हुने |
| २ | ५ लाख १ देखी १० लाख सम्म | १५००१० | |
| ३ | १० लाख १ देखी २० लाख सम्म | १७५०१० | |
| ४ | २० लाख १ देखी ५० लाख सम्म | २०००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ६ | १ करोड १ देखी ५ करोड सम्म | १००००१० | |
| ७ | ५ करोड देखि माथी प्रति करोड | २१००१० | |
| ज) निर्माण समाग्रि (सिमेण्ट, जस्तापाता, ईटा, टायल, सिमेण्ट पोल, ह्यूमपाईप, फलामे रड, ग्रिल, तार जाली, काठ तथा फलाम र एलुमिनियमका भ्याल, ढोका लगायत) उत्पादन गर्ने | | | |
| १ | १० लाख सम्म | १०००१० | १५ जना भन्दा बढि लाई रोजगारी दिनेको हकमा तोकिएको समय सिमा भित्र बुझाउने लाई थप १० % छुट हुने |
| २ | १० लाख १ देखी २० लाख सम्म | १५००१० | |
| ३ | २० लाख १ देखी ५० लाख सम्म | २०००१० | |
| ४ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | १००००१० | |
| ५ | १ करोड १ देखी २ करोड सम्म | २५०००१० | |
| ६ | २ करोड १ देखी ५ करोड सम्म | ५००००१० | |
| ७ | ५ करोड देखि माथी प्रति करोड | १०५००१० | |
| ट) चक तथा खनिज उद्योग, | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|---------|---|
| १ | १० लाख सम्म | १०००१० | १० जना भन्दा बढि लाई रोजगारी दिनेको हकमा तोकिएको समय सिमा भित्र बुझाउने लाई थप १० % छुट हुने |
| २ | १० लाख १ देखि २५ लाख सम्म | १५००१० | |
| ३ | २५ लाख १ देखि ५० लाख सम्म | १७५०१० | |
| ४ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | १५००१० | |
| ५ | १ लाख १ देखि २ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ६ | २ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | १००००१० | |
| ७ | ५ करोड देखि माथी प्रति करोड | २९५०१० | |
| ठ) फिनेल तथा अन्न बालिमा प्रयोग गरिने विभिन्न किटनासक विषाधी तथा निर, रङ्ग लगायतका विभिन्न क्यामिकल उत्पादन गर्ने उद्योग | | | |
| १ | १० लाख सम्म | १०००१० | जैविक औषधि उत्पादन गर्नेको हकमा २० % छुट हुने |
| २ | १० लाख १ देखि २५ लाख सम्म | १५००१० | |
| ३ | २५ लाख १ देखि ५० लाख सम्म | १७५०१० | |
| ४ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | १५००१० | |
| ५ | १ लाख १ देखि २ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ६ | २ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | १००००१० | |
| ७ | ५ करोड देखि माथी प्रति करोड | २३००१० | |
| ड) उर्जा मुलक तथा सौर्य उर्जा उत्पादन | | | |
| १ | ५० लाख सम्म | १०००१० | १० जना भन्दा बढि लाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेको हकमा तोकिएको समय सिमा भित्र बुझाउने लाई थप १५% छुट हुने |
| २ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | १५००१० | |
| ३ | १ करोड १ देखि २ करोड सम्म | १७५०१० | |
| ४ | २ करोड १ देखि ३ करोड सम्म | १५००१० | |
| ५ | ३ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ६ | ५ करोड १ देखि १० करोड सम्म | १००००१० | |
| ७ | १० करोड देखि माथी प्रति करोड | २०५०१० | |
| ढ) प्लास्टिकका डोरी, डब्बा, वाल्टीन, भौँडाबर्टन, झोला, टैकि, ड्रम, खेलौना तथा सजावटका सामान लगायतका विभिन्न सामाग्रि बनाउने उद्योग | | | |
| १ | ५० लाख सम्म | १५००१० | १५ जना भन्दा बढि लाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेको हकमा तोकिएको समय सिमा भित्र बुझाउने लाई थप १०% छुट हुने |
| २ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | २०००१० | |
| ३ | १ करोड १ देखि २ करोड सम्म | २५००१० | |
| ४ | २ करोड १ देखि ३ करोड सम्म | ३५००१० | |
| ५ | ३ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ६ | ५ करोड १ देखि १० करोड सम्म | १००००१० | |
| ७ | १० करोड देखि माथी प्रति करोड | २२००१० | |
| ण) कपडा (सुति, पोलिप्टर, उनी, ढाका, भुल तथा पर्दा उत्पादनगर्नेसमेतका कपडा जन्य पदार्थ उत्पादन गर्नेसमेतका साधारण तथा आधुनिक स्तरका समेत) उद्योग | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | ५००१० | १५ जना भन्दा बढि लाई रोजगारी दिनेको हकमा तोकिएको समय सिमा भित्र बुझाउने लाई थप १०% छुट हुने |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | ७५०१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २५ लाख सम्म | १०००१० | |
| ४ | २५ लाख १ देखि ५० लाख सम्म | १५००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | २५००१० | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|
| ६ | १ करोड १ देखि २ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ७ | २ लाख १ देखि ५ करोड सम्म | ७५००१० | |
| ८ | ५ करोड देखि माथि प्रति करोड | ९६००१० | |
| त) इजाजत प्राप्त मदिरा तथा मदिराजन्य उच्चोग | | | |
| १ | १० लाख सम्म | ५०००१० | |
| २ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १००००१० | |
| ३ | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | २००००१० | |
| ४ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ३००००१० | |
| ५ | १ करोड १ देखि २ करोड सम्म | ५००००१० | |
| ६ | २ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ७५०००१० | |
| ७ | ५ करोड देखि माथि प्रति करोड | ९५५००१० | |
| थ) अन्य उत्पादनमूलक उच्चोग | | | |
| | अर्ध प्रशोधित माल वा खेर गईरहेको माल वा अन्य सामानको प्रयोग र प्रशोधन गरी मालसामान उत्पादन गर्ने व्यवसाय जस्तो: खेर गईरहेको प्लास्टीकबाट सामान निर्माण गर्ने र फोहोरबाट मल निर्माण गर्ने व्यवसायको हकमा व्यवसायको लगानि हेरी | रु.१०००१० देखि १००००१० सम्म | १५ जना भन्दा बढि लाई रोजगारी दिनेको हकमा तोकिएको समय सिमा भित्र बुझाउने लाई थप १० % छुट हुने गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुने |

नोट: रोजगारी सृजना गरे बापतको छुट सुविधा प्राप्त गर्न तोकिएको समय भित्र कर चुक्ता गर्न अनिवार्य छ।

२ व्यापारिक बस्तुहरू –बार्षिक कारोबारका आधारमा

| क्र. सं. | विवरण | दर रु | कैफियत |
|----------|--|--------|--|
| | क) सुर्ति, चुरोट, मदिरा, पान, चिसो पेय पदार्थको व्यापार व्यवसाय (खुद्रा तथा थोक पसल समेत) | | |
| १ | ५ लाख सम्म | २०००१० | |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | २१००१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | २५००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | ३५००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ४०००१० | |
| ६ | १ करोड १ देखि २ करोड सम्म | ७५००१० | |
| ७ | २ करोड १ देखि ३ करोड सम्म | १००००१ | |
| ८ | ३ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | २००००१ | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथि प्रति करोड | ४०००१० | |
| | ख) काठ, प्लाईउड, सिमेण्ट, फलामे छड तथा हार्डवयर,इटा तथा टालि विकि डिपो, मार्बल तथा टालि, सौचालयका रिड, विच्चुत पोल, पिलर, ह्यूमपाईप लगायत साथै फलामका औजार, तार जाली, टिना तथा जस्तापाता, डोरी, एलुमिनियम लगायतका निर्माण सामाग्रि संग सम्बन्धित सबै प्रकारका निर्माण बस्तु संग सम्बन्धित बस्तुहरू | | ७ जना भन्दा बढि लाई रोजगारी दिनेको हकमा तोकिएको समय सिमा भित्र बुझाउने लाई थप १०% छुट हुने |

| | | | |
|---|-------------------------------|---------|--|
| १ | ५ लाख सम्म | १०००१० | |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १५००१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | २०००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखी ५० लाख सम्म | २५००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | ३५००१० | |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | ७५००१० | |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | १००००१ | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | २१००१० | |
| ग) सुन चौंदी लगायतका गर गहना (ज्वेलर्स), साथै चुरा, पोते, टिका लगायतका सूझार संग सम्बन्धित चीज बस्तु | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | १०००१० | |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १५००१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | २०००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखी ५० लाख सम्म | २५००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | ४०००१० | |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | ७५००१० | |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | १००००१ | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | २५००१० | |
| गेटो स्टुडियो, क्यामेरा, घडि, रेडियो, मोवायल, टेलीभिजन, कम्प्यूटर, सिडि तथा सिडीप्लेयर्स लगायतका सामाग्री समेतका व्यवशायहरू | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | १०००१० | |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १५००१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | २०००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखी ५० लाख सम्म | २५००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | ४०००१० | |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | ७५००१० | |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | १००००१ | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | २५००१० | |
| ड) विद्युतिय तथा ईलेक्ट्रॉनिक समाग्री (बल्ब, तार, स्वीच लगायतका विद्युतीय सेवा र प्रवाह संग सम्बन्धित सामग्री) | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | १०००१० | |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १५००१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | २५००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखी ५० लाख सम्म | ३०००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | ४५००१० | |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ५५००१० | |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | ८०००१० | |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | १२०००१० | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | २५००१० | |
| च) चस्मा तथा ग्लास हाउस लगायतका सिसा संग सम्बन्धित | | | |
| ७ जना भन्दा बढि लाई रोजगारी दिनेको हकमा तोकिएको समय सिमा भित्र बुझाउने लाई थप १०% छुट हुने | | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---------|---------------------|
| १ | ५ लाख सम्म | ५००१० | लाई थप १०% छुट हुने |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १०००१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १५००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | २०००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ४०००१० | |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | ७५००१० | |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | १००००१० | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | २२००१० | |
| छ) ठूला तथा साना सवारी तथा यातायातका साधनका पार्ट पुर्जा, मिल, मेशिनरी, यन्त्र उपकरण आदि को विक्रि वितरण | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | ७५०१० | |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १५००१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | २५००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | ३५००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ७५००१० | |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | १००००१ | |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | १५०००१० | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | ३५००१० | |
| ज) बस, ट्रक, द्याक्टर, कार जीप, भेन तथा अटोमोबाइल्स, मोटरसाईकल तथा साईकल (ठूला तथा साना गरी सबै प्रकारका सवारी तथा यातायातका साधनको कारोबार) साथै घ्यारेज समेत | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | १०००१० | |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १५००१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | २०००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | २५००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | १००००१ | |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | १५०००१० | |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | २००००१ | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | ४५००१० | |
| झ) किताब, कापी तथा स्टेशनरी संग सम्बन्धित व्यवसाय | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | १०००१० | |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १५००१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | २०००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | २५००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ३५००१० | |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | ७५००१० | |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | १००००१ | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | २१५०१० | |
| ज) औषधि उपचार संग सम्बन्धित पसल तथा व्यवशाय (औषधि पसल, | | | |

| | | |
|----|--|---------------------|
| | | लाई थप १०% छुट हुने |
| १ | १० लाख सम्म | १०००१० |
| २ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १२००१० |
| ३ | २० लाख १ देखि ३० लाख सम्म | १५००१० |
| ४ | ३० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | २०००१० |
| ५ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ५०००१० |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ७५००१० |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | १००००१ |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | १५०००१० |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | ३५००१० |
| ट) | खाद्य सामग्री तथा प्रशोधित पानी समेतका थोक तथा किराना | |
| १ | ५ लाख सम्म | ५००१० |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १०००१० |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १५००१० |
| ४ | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | २०००१० |
| ५ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ५०००१० |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ७५००१० |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | १००००१ |
| ८ | ३ करोड९ देखि माथी प्रति करोड | १५०००१० |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | ३५००१० |
| ठ) | तामा, एलुमिनियम, स्टिल लगायतका विभिन्न धातु तथा सेरामिक लगायतका विभिन्न प्रकारका भाँडा वर्तन | |
| १ | ५ लाख सम्म | ५००१० |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | ७५०१० |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १०००१० |
| ४ | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | १५००१० |
| ५ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | २५००१० |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ५०००१० |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | ७५००१० |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | १००००१ |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | २१५०१० |
| ड) | कृषिसंग सम्बन्धित व्यवसायको हकमा (कृषि सामग्री, औजार, मल, विउ, गाई दाना, चोकर, कुखुराको दाना, पशुपंक्षी आहार समेत) | |
| १ | ५ लाख सम्म | ५००१० |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | ७५०१० |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १०००१० |
| ४ | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | १२००१० |
| ५ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | १५००१० |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | २०००१० |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | ५०००१० |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------|--|
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | ७५००१० | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | १६५०१० | |
| ठ) संकलन/ विकि केन्द्र (कांटा राखि वा नराखि संकलन केन्द्र स्थापनगरी स्थानीय तहमा उत्पादित बस्तु धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर लगायतका अन्न बाली, दालहन, तेलहन बाली, दुध तथा दुर्घ उत्पादन, फलफुल तथा तरकारी तथा अन्य संकलन र सञ्चय मात्र गर्ने वा संकलन र सञ्चय गरी विकि समेत गर्ने) | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | ५००१० | |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | ७५०१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १०००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | १५००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | २५००१० | |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | ७५००१० | |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | १००००१ | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | २१५०१० | |
| ण) शिसा, फ्रेमिड, कार्पेट, सजावटका सामान र जनरल गुड्स आदी | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | ७५०१० | |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १०००१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १५००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | २०००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | २५००१० | |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | ७५००१० | |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | १००००१ | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | २१५०१० | |
| त) सुति कपडा, रेडिमेड कपडाआदि व्यवसाय | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | ५००१० | |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | ७५०१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १०००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | १५००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | २५००१० | |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | ७५००१० | |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | १००००१ | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | २१५०१० | |
| थ)छापाखाना, प्रेस, स्किन प्रिन्टर्स, फोटो कपि, कम्प्युटर टाइपिङ,आदि | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | ६५०१० | |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | ८५०१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १०००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | १५००१० | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------|--|
| ५ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | २५००१० | |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | ७५००१० | |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | १००००१ | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | २१५०१० | |
| द) सिनेमा, टेलि चलचित्र, बृत्तचित्र निर्माण | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | ५००१० | |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | ७५०१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १०००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखी ५० लाख सम्म | २५००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | ३५००१० | |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | ७५००१० | |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | १००००१ | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | २१५०१० | |
| ध) माछा, मासु अण्डा, दुध, आलु प्याज, हरियो तरकारी, फलफुल थोक तथा खुद्रा विक्री | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | १०००१० | |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १५००१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | २०००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखी ५० लाख सम्म | २५००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | ३५००१० | |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | ७५००१० | |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | १००००१ | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | २१५०१० | |
| न) पर्यटन व्यवसाय संग सम्बन्धितः चिया, खाजा, खाना, आवास लज, होटेल (तारे होटल समेत), फास्टफुड रेष्टुरा, रिसोर्ट, ट्राभल्स एजेन्सी, स्वमिड पुल कन्फरेन्स हल लगायत | | | |
| १ | ५ लाख सम्म | ५००१० | |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १०००१० | |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १५००१० | |
| ४ | २० लाख १ देखी ५० लाख सम्म | २०००१० | |
| ५ | ५० लाख १ देखी १ करोड सम्म | ३०००१० | |
| ६ | १ करोड९ देखि २ करोड सम्म | ५०००१० | |
| ७ | २ करोड९ देखि ३ करोड सम्म | १००००१ | |
| ८ | ३ करोड९ देखि ५ करोड सम्म | २००००१ | |
| ९ | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | ४२००१० | |
| प) निजी शिक्षण संस्था | | | |
| १ | पूर्व प्राथमिक | २०००१० | |
| २ | आधारभूत तह | ८०००१० | |
| ३ | माध्यमिक | १००००१० | |
| ४ | उच्च मावि | १५०००१ | |
| ५ | क्याम्पस (स्नातक वा सो भन्दा माथि) | २५०००१ | |

७ जना भन्दा बढि लाई रोजगारी दिनेको हकमा तोकिएको समय सिमा भित्र बुझाउने लाई थप १०% छुट हुने

३ जना भन्दा बढि लाई रोजगारी दिनेको हकमा तोकिएको समय सिमा भित्र बुझाउने लाई थप १०% छुट हुने

१० जना भन्दा बढि लाई रोजगारी दिनेको हकमा तोकिएको समय सिमा भित्र बुझाउने लाई थप १०% छुट हुने

१५ जना भन्दा बढि लाई रोजगारी दिनेको हकमा तोकिएको समय सिमा भित्र बुझाउने लाई थप १०% छुट हुने

| | | | |
|-----|---|---------|--|
| ६ | प्राविधिक शिक्षण संस्था | १००००। | |
| ७ | छात्रावास | - | |
| फ) | सबै प्रकारका सैदान्तिक तथा व्यवहारिक अनुसन्धान, तालिम तथा प्रशिक्षणहरू (कम्प्यूटर, व्यूटिपालर, खाद्य प्रशोधन, इलेक्ट्रिकल, मोकानिकल, ड्राईभिड, हाइड्रेलिक, सौर्य उर्जा लगायत सबै प्रकारका शिप विकास, तथा भाषा प्रशिक्षण, कोचिङ तथा ट्यूसन सेन्टर लगायत) | | |
| १ | ५ लाख सम्म | ५००।० | |
| २ | ५ लाख १ देखि ७ लाख सम्म | ७५०।० | |
| ३ | ७ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १०००।० | |
| ४ | १० लाख १ देखि २५ लाख सम्म | १५००।० | |
| ५ | २५ लाख १ देखि ५० लाख सम्म | २०००।० | |
| ६ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | २५००।० | |
| ७ | १ करोड १ देखि २ करोड सम्म | ५०००।० | |
| ८ | २ करोड १ देखि ३ करोड सम्म | १००००। | |
| ९ | ३ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | १५०००।० | |
| १० | ५ करोड १ देखि माथी प्रति करोड | ३१५०।० | |
| ब). | सबै प्रकारका सामान एकै छाना मुनि विक्रि गर्ने डिपार्टमेण्ट स्टोर | | |
| १ | २५ लाख सम्म | २५००।० | |
| २ | २५ लाख १ देखि ५० लाख सम्म | ३०००।० | |
| ३ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ४०००।० | |
| ४ | १ करोड १ देखि २ करोड सम्म | ५०००।० | |
| ५ | २ करोड १ देखि ३ करोड सम्म | ६०००।० | |
| ६ | ३ करोड १ देखि ४ करोड सम्म | ७०००।० | |
| ७ | ४ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ९०००। | |
| ८ | ५ करोड १ देखि १० करोड सम्म | १५०००।० | |
| ९ | १० करोड देखि माथी प्रति करोड | ३५००।० | |

नोट: १. प्रकृति र क्षेत्र फरक फरक भएका एक वा एक भन्दा बढि प्रकारका वस्तुको व्यवशाय गर्नेको हकमा सबै भन्दा बढि भार जुन वस्तुमा छ, सोहि प्रकृतिको व्यापार तथा व्यवशायलाई आधार मानि मुल्याङ्कन गरिनेछ ।
 २. रोजगारी सृजना गरेको कारण बाट थप छुट सुविधा प्राप्त गर्नकालागि तोकिएको समय सिमा भित्र कर तथा राजशव बुझाउन अनिवार्य छ ।

५.४.२.क. प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति लिई निजि जग्गामा पशुपन्धी बेचबिखन गर्ने व्यवसाय का हकमा (बार्षिक कारोबार का आधारमा)

| क्र.स. | विवरण | रकम | कै. |
|--------|-------------|-------|-----|
| १ | ५ लाख सम्म | २००० | |
| २ | १० लाख सम्म | २५०० | |
| ३ | २० लाख सम्म | ३००० | |
| ४ | ५० लाख सम्म | ५००० | |
| ५ | ७५ लाख सम्म | ८००० | |
| ६ | १ करोड सम्म | १५००० | |

| | | | |
|---|-------------------|-------|--|
| ७ | १ करोड भन्दा माथि | २०००० | |
|---|-------------------|-------|--|

५.४.३. विशेषज्ञ परामर्श तथा व्यवसायिक सेवा:

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०७८।७९ को लागि दर रु | कैफियत |
|--|--------|----------------------------------|--------|
| ३.१ विशेषज्ञ परामर्श सेवा: | | | |
| क) चिकित्सक, अहेब, कवीराज, होमियोपेथिक, आयुरवेदिक, पशु चिकित्सक, भेटरीनरी समेत | | | |
| १ एम.डी. डाक्टरलाई | १५००।० | | |
| २ पशु निकित्सामा स्नातकोत्तर | १०००।० | | |
| ३ एम.वि.वि.एस. | ७५०।० | | |
| ४ पशु चिकित्सामा स्नातक | ७५०।० | | |
| ५ अ.हे.व तथा पशु सहायकलाई | ५००।० | | |
| ६ कविराज, होमियोपेथिक, आर्युवेदिक डाक्टर | ७५०।० | | |
| ७ कविराज, होमियोपेथिक, आयुरवेदिक अहेब | ५००।० | | |
| ख) कानून व्यवसायी | | | |
| १ बरिष्ट अधिवक्ता | १५००।० | | |
| २ अधिवक्ता | १०००।० | | |
| ३ अभिवक्ता | ७५०।० | | |
| ४ लेखापढी व्यवसाय | ५००।० | | |
| ग) लेखापरिक्षक | | | |
| १ श्रेणी क | १५००।० | | |
| २ श्रेणी ख | १०००।० | | |
| ३ श्रेणी ग | ७५०।० | | |
| ४ श्रेणी घ | ५००।० | | |
| घ) भ्यालुएटर (मूल्याङ्कन कर्ता इन्जिनियरिङ सेवा) | | | |
| १ बैक तथा वित्तीय संस्थाको प्रयोजनकालागि | १५००।० | | |
| २ विमा प्रयोजनकालागि | १०००।० | | |
| ३ अन्य सबै | ७५०।० | | |
| ङ) परामर्शदाता (आर्थिक, भौतिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक लगायतका विषय संग सम्बन्धित दर्तावाला विभिन्न परामर्शदाता | १०००।० | | |
| ३.२ सेवा व्यवशाय | | | |
| क) निर्माण व्यवशाय (सबै प्रकारका)तथा ठेक्का पट्टा समेत | | | |
| १ श्रेणी क | ५०००।० | | |
| २ श्रेणी ख | ३०००।० | | |

| | | | |
|-----|--|---------|---|
| ३ | श्रेणी ग | २०००१० | |
| ४ | श्रेणी घ | १०००१० | |
| ख) | विमा, विज्ञापन, शेयर लगायतका सेवाहरू वा फर्म | | |
| १ | विमा एजेन्ट विदेशी | ५०००१० | |
| २ | विमा एजेन्ट स्वदेशी | १५००१० | |
| ३ | विज्ञापन ऐजेन्सी | २५००१० | |
| ४ | शेयर दलाल | २५००१० | |
| ५ | अभिकर्ता | ७५०१० | |
| ६ | कानूनी फर्म तथा लेखा व्यवशायी फर्म | १०००१० | |
| ७ | अनुसन्धान तथा परामर्शदाता | १०००१० | |
| ८ | अनुवादक | २५०१० | |
| ग) | संचार सेवा (पत्रपत्रीका, एफ एम रेडियो तथा रेडियो वा टेलिभिजन प्रसारण समेत) | | |
| १ | पत्रपत्रीका वितरक | १००१० | |
| २ | पत्रीका प्रकाशक | १५००१० | |
| ३ | एफ.एम.रेडियो प्रसारण | २५००१० | |
| ४ | केवल नेटवर्क | | |
| ४.१ | ५०० सम्म ग्राहक भएको | २५००१० | |
| ४.२ | ५०० देखि १००० सम्म ग्राहक भएको | ५०००१० | |
| ४.३ | १००० भन्दा मध्य ग्राहक भएकाको हकमा प्रति ग्राहक | २० | |
| ५ | मोबाईल टावर ठूलो | १५०००१० | ठूलो टावर भन्नाले घरको छतमा राखिएका टावरहरूलाई जनाउने छ, भने दुई तल्ले घर सम्मको उचाई भएका जिमिनमा राखिएका टावरहरूलाई समेत ठूलो टावरको रूपमा लिईने छ, |
| ६ | सानोको हकमा | १००००१० | |
| घ) | वित्तीय सेवा (बैंक तथा वित्तिय संस्थाका मुख्य तथा शाखा समेत) | | |
| १ | क वर्गका बैंक | २५०००१० | |
| २ | ख वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, | १५०००१० | |
| ३ | ख वर्गका क्षेत्रीय तथा प्रदेश स्तरका विकास बैंक | १००००१० | |
| ४ | ग वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्तिय संस्था | ७०००१० | |
| ५ | ग वर्गका क्षेत्रीय तथा प्रदेश स्तरका वित्तिय संस्था | ५०००१० | |
| ६ | लघुवित्त संस्था | ३०००१० | |
| ७ | मनि ट्रान्सफर तथा मनि चेन्जर | २०००१० | |
| ८ | विमा कम्पनी | १००००१० | |
| ९. | सहकारी | | १. महिला सहकारिको हकमा |

| | | | |
|---|--|----------|---|
| ९.१ | बचत तथा ऋण सहकारी सस्था(कारोबारको आधारमा) | | ५० प्रतिसत मात्र लाग्ने २. उल्लेखित सहकारी बाहेकका अन्य सहकारी कोहकमा कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुने |
| ९.१.१ | १ करोड सम्म | २०००१० | |
| ९.१.२ | १ करोड १ देखि ३ करोड सम्म | २५००१० | |
| ९.१.३ | ३ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ३०००१० | |
| ९.१.४ | ५ करोड भन्दा माथि | ५०००१० | |
| ९.२ | बहुदेशीय सहकारी सस्था (कारोबारको आधारमा) | | |
| ९.२.१ | १ करोड सम्म | १५००१० | |
| ९.२.२ | १ करोड १ देखि ३ करोड सम्म | २०००१० | |
| ९.२.३ | ३ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | २५००१० | |
| ९.२.४ | ५ करोड भन्दा माथि | ३०००१० | |
| ९.३ | कृषि सहकारी, दुग्ध सहकारी लगायत कृषि तथा पशुपालन साथै सहकारीका माध्यमा बाट सञ्चालित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय समेत (एकमुष्ठ) | १०००१० | |
| ड) स्वास्थ्य सेवा:अस्पताल, नरसिंड होम, क्लिनिक तथा ल्यावहरू लगायत स्वास्थ्य सेवासंग सम्बन्धित व्यवसायहरू (कारोबारका आधारमा) | | | |
| १ | २५ लाख सम्मको लागि | २५००१० | |
| २ | २५ लाख १ देखि ५० लाख सम्म | ३५००१० | |
| ३ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ४५००१० | |
| ४ | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ७०००१० | |
| ५ | ५ करोड देखि माथी प्रति करोड | ९५०००१० | |
| च).गाउँपालिका बाट सञ्चालित सबै प्रकारका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरू बाट उपलब्ध गराईने जन स्वास्थ्य तथा पशु स्वास्थ्य सेवा संग सम्बन्धित शुल्क दर | | | |
| १ | विशेषज्ञ डाक्टर बाट परिक्षण सेवा | १५०।० | गाउँ सभा बाट तोकिएको बाहेकको हकमा गाउँ स्वास्थ्य समितिको सिफारिस तथा राजश्व परामर्श समितिको रायका आधारमा गाउँ कार्यपालिकाले (का.पा.) निर्धारण गरे बमोजिह हुने |
| २ | मेडिकल अफिसर बाट परिक्षण सेवा | १००।० | |
| ३ | विशेषज्ञ पशु चिकित्सक सेवा | १००।० | |
| ४ | सहायक पशु चिकित्सक सेवा | ७५।० | |
| ५ | एक्सरे सेवा | २५।०।० | |
| ६ | भिडियो एक्सरे सेवा | ३००।० | |
| ७ | इसिजि सेवा | २००।० | |
| ८ | रगत परिक्षण सेवा | (का.पा.) | |
| ९ | प्राथमिक उपचार टिकट शुल्क (गाई, भैंसी, बाखा) प्रति गोटा | १०।० | |
| १० | प्राथमिक उपचार टिकट शुल्क (कुकुर, बंगुर, घोडा, बांदर) प्रति गोटा | २०।० | |
| ११ | गोबर परिक्षण (सबै प्रकारका पशुको) प्रति गोटाको | ५०।० | |
| १२ | बन्ध्याकरण (रांगो, बोका, गोरु आदी) | ५०।० | |

| | | | |
|--|--|--------|---|
| | प्रति गोटा | | |
| १३ | रविज भ्याक्सिन (कुकुर) प्रति गोटा प्रति डोज | १००।० | |
| १४ | रेविज भ्याक्सिन (गाई, भैसी, बाखा लगायत) प्रति गोटा प्रति कोर्ष ५ डोजको) | ४००।० | |
| १५ | गाई, भैसी तथा बाखा कृतिम गर्भाधान बापत प्रति गोटा | ५०।० | |
| छ). कृषि विशेषज्ञ सेवा | | | |
| | बरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ सेवा | ७५०।० | गाउँ सभाले तोके बाहेकमा राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुने |
| | सहायक कृषि विशेषज्ञ सेवा | ५००।० | |
| | जे.टि.ए सेवा | ३००।० | |
| | अन्य | २५०।० | |
| ज). शैक्षिक गुणस्तर विकास शुल्क (निजी शिक्षण संस्था) तथा आधारभुत तहको परिक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन शुल्क समेत | | | |
| १ | पूर्व प्राथमिक (प्रति विद्यार्थी) | १०।० | |
| २ | आधारभुत तह (प्रति विद्यार्थी) | १५।० | |
| ३ | माध्यमिक (प्रति विद्यार्थी) | २५।० | |
| ४ | उच्च मावि (प्रति विद्यार्थी) | ५०।० | |
| ५ | क्याम्पस (स्नातक वा सो भन्दा माथि) प्रति विद्यार्थी | १००।० | |
| ६ | प्राविधिक शिक्षण संस्था (प्रति विद्यार्थी) | १५०।० | |
| ७ | छात्रावास (प्रति विद्यार्थी) | २५।० | |
| ८ | आधारभुत तहको परिक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन शुल्क | १५०।० | गाउँ शिक्ष समितिको सिफारिस र राजश्व परामर्श समितिको रायका आधारमा गाउँ कार्यपालिकाले परिवर्तन गर्न सक्ने । |
| झ) मर्मत संभार सेवा | | | |
| १ | टेक्टर, बस, ट्रक, हेवी इक्यूवमेन्ट, कार, जीप, सवारी डेन्टिङ्ग मोटर पार्ट्स, मिलमेशीनरी, एयरकुलर, टायर रिसोलिङ्ग, डाईनामाइट | १५००।० | |
| २ | मोटर रिवाईन्डिङ समेतको इलेक्ट्रिकका सामान | ७५०।० | |
| ३ | मोटरसाईकल | ५००।० | |
| ४ | रेडियो घडि टिभी आदि इलेकक्ट्रोनिक्स सामान | ४००।० | |
| ५ | ग्यासचुल्लो, पम्प, टायरटयूव पम्चर, ग्यास वल्डिङ, वक्सा मर्मत गर्ने, साइकल, रिक्सा, लुगा सिउने मेशिन, फोटोकपी मेसिन, व्याग लगायत अन्य | ३६५।० | |
| ञ) सरसफाई सेवा शुल्क (प्रति महिना) | | | |
| १ | सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा दिशा | १०।० | प्रति पटक |

| | गरेको | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| २ | सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा पिसाब गरेको | ५० | प्रति पटक |
| ३ | फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क प्रति घर | ५०० | PPP को माध्यमबाट सञ्चालन व्यवस्थापन हुने भएमा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुने गरी |
| ४ | व्यापार व्यवसाय (प्रति व्यवशाय) | ३५०० | |
| ५ | उद्योग कलकारखान (लघु तथा साना उद्योग) | ४००० | |
| ६ | उद्योग कलकारखान (मझौला उद्योग) | ७५०० | |
| ७ | उद्योग कलकारखान (ठूला उद्योग) | १५००० | |
| ८ | अन्य विविध सेवा शुल्क (सेवाको प्रकृति हेरी) | रु ५०००० देखि रु २५०००० सम्म | गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुने गरी |
| ट) शिपमा आधारित सेवा | | | अन्यको हकमा रु ५००० |
| १ | राज मिस्त्रि | ५००० | |
| २ | विजुलि मिस्त्रि | ७५०० | |
| ३ | प्लम्बर | ५००० | |
| ४ | काठ मिस्त्रि तथा कार्पेण्टर | ५००० | |
| ५ | रड मिस्त्रि, पेण्टिङ समेत | ५००० | |
| ६ | मेकानिक्स (गाडि, मिल मेसिनरी लगायत) | ७५०० | |
| ठ) अन्य सेवा | | | |
| १ | वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने संस्था | ५०००० | |
| २ | स्वदेशी उद्योग, संघसस्था आदिमा जनशक्ति सप्लाई गर्ने | १५००० | |
| ३ | कलर ल्याव तथा आर्ट व्यवसायी | १०००० | |
| ४ | घरजग्गा खरिद विक्री | ५०००० | |
| ५ | विज्ञापन सेवा, फोटो स्टुडियो | १०००० | |
| ६ | व्युटी पार्लर, केश श्रृङ्गार, साईनवोर्ड, पेन्टिङ, हेयर कटिङसैलुन, | ७५०० | |
| ७ | पंचेवाजा | ०० | निशुल्क |
| ८ | वैण्ड वाजा | १०००० | |
| ९ | सितभण्डार | २५००० | |
| १० | टेण्ट हाउस | १०००० | |
| ११ | हाफ क्याटरीड | १०००० | |
| १२ | साईवर क्याफे | १०००० | |
| १३ | एग्रोभेट | ५००० | |
| १४ | कवाडी पसल थोक | २०००० | |
| १५ | कवाडी पसल खुद्रा | १०००० | |
| १६ | ढुवानी सेवा शाखा भएका | १५००० | |
| १७ | ढुवानी सेवा शाखा नभएको | १०००० | |
| १८ | केटरीइ व्यवसाय | १०००० | |
| १९ | १ मेसिन राखी कपडा सिलाई गर्ने | १५०० | थप १ मेसिन बराबार रु ५००० |

| | | | |
|----|---|----------|---|
| २० | पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने पर्म २ वटा सम्म मेसिन भएको | ५०००१० | <ul style="list-style-type: none"> प्रति मेसिन थप रु २०००१० मेसिन नराखि ड्रममा राखि बेच्नेको हकमा रु १५००१० |
| २१ | ग्यास विक्ती डिलर, | १५००१० | |
| २२ | भाडा वर्तन, जुत्ताचप्पल, कस्मेटिक, मनिहारी, हेल्थ केयर, कृतिम गहना, फेन्सी समेत खूद्रा विक्रेता | १०००१० | |
| २३ | भडा वर्तन, जुत्ताचप्पल, कस्मेटिक, मनिहारी, हेल्थ केयर, कृतिम गहना, फेन्सी समेत थोक विक्रेता | १५००१० | |
| २४ | लुगा धुने धुवि सेवा | ५००१० | |
| २५ | आरन राखि फलामका हाते औजार बनाउने | ५००१० | |
| २६ | मोबाइलको टावर | १५०००१०० | |
| २७ | रेडियो टेलिभिजन लगायत अन्य टावर | १००००१०० | |
| | | | |
| | | | |

नोट:

- गाउँपालिकामा दर्ता भई वा अनुमति लिई संचालनमा आएका फर्म, पसल, उद्योग आदिलाई बन्द गर्नुपर्दा आवश्यकतानुसार निरीक्षण गरी विगत वर्षको लाग्ने दस्तुर र जरिवाना समेत असुल गरी व्यवसाय बन्द सिफारिस दिईनेछ, वा बन्द गर्न अनुमति दिईनेछ।
- गाउँपालिकालाई आवश्यक परेमा (व्यवसायको किसिम निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा) निजको व्यवसायको कारोबार अङ्ग आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा अन्तःशुल्क कार्यालय वाट प्रमाणित विवरण माग गर्न सकिने छ साथै गाउँपालिकाले तोकेको कर्मचारीबाट निरीक्षण गरी निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा राजश्व परामर्श समितको शिफारिमा गाउँकार्यपालिका बाट कर तथा शुल्क निर्धारण गरिनेछ।
- गाउँपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क र भाडा आदि जस्ता राजश्व बुझाउन वाँकी रहेमा गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सिफारिस लगायतका सेवा प्रवाहबाट बच्चित गर्न सकिनेछ।

अनुसूची ५

पूर्वाधार सेवा शुल्क तथा अन्य सेवा शुल्कः

क. सवारी साधन कर

यस गाउँपालिका हाताभित्र सवारी अनुमति दर्ता गरी सञ्चालन हुने सवारी साधनहरूले दर्ता तथा नवीकरण प्रयोजनार्थ तिर्नु पर्ने कर देहाय बमोजिम हुनेछ ।

| क्र.सं | सवारी साधन | बाषिक कर (रु.) | कैफियत |
|--------|-------------------------------|----------------|--------|
| १ | अटो रिक्सा | २५०।०० | |
| २ | बोलेरो, ट्याक्सी, | ५००।०० | |
| ३ | ट्र्याक्टर, पिकअप, छोटाहात्ति | १०००।०० | |
| ४ | ट्रीपर, ट्रक | २०००।०० | |
| ५ | बस | २०००।०० | |

ख) स्थानीय सेवा व्यवसाय एवम सरसफाई शुल्क प्रचलित कानुन बमोजिम गर्ने देहायका कामका हकमा

| सि.नं. | स्थानीय सेवाका शुल्क लिने विषय (विवरण) | दररेट |
|--------|--|--------|
| १ | गाईगोरु प्रति गोटा प्रतिदिन | ८०।०० |
| २ | राँगा भैंसी गोटा प्रतिदिन | १००।०० |
| ३ | बाखा खसी गोटा प्रतिदिन | ३०।०० |
| ४ | बड्गुर गोटा प्रतिदिन | ५०।०० |
| ५ | हाँस कुखुरा गोटा प्रतिदिन | १०।०० |
| ६ | पाटा प्रति मन | १०।०० |
| ७ | अदुवा प्रति क्युन्टल प्रतिदिन | १००।०० |
| ८ | बेसार प्रति क्वान्टल प्रतिदिन | १००।०० |
| ९ | लसुन प्रति क्वान्टल प्रतिदिन | १००।०० |
| १० | कवाडी सामान प्रति साइकल प्रतिदिन | ५०।०० |
| ११ | फर्निचरको सामान प्रति गाडी | ५००।०० |
| १२ | काठ कच्चा पदार्थ प्रति टेक्टर | ५००।०० |
| १३ | बालुवा प्रति ट्र्याक्टर | ३५।०० |

| | | |
|----|--|-------|
| १४ | डुलुवा पोके व्यापारी | २५०० |
| १५ | चिनी प्रति कट्टा | १५०० |
| १६ | मलखाद प्रति बोरा | १०० |
| १७ | दलहन प्रति मन | १०० |
| १८ | डाल्डा प्रति जार | १०० |
| १९ | सुपारी प्रति बोरा | ३५०० |
| २० | छाला प्रति गोटा | १५०० |
| २१ | अलैंची प्रति मन | ३००० |
| २२ | साल धुप प्रति बोरा | ३५०० |
| २३ | खाने तेल प्रति टिन | १०० |
| २४ | खाली टिन प्रति गोटा | ७०० |
| २५ | पोश दाना प्रति बोरा | २०० |
| २६ | स्याउ प्रति कार्टनुको | ३०० |
| २७ | नरिवल खर्बुजा, काँका (प्रति ट्रयाक्टर) | ५००० |
| २८ | दाउरा साखु (प्रति ट्रक) | ३५०० |
| २९ | दाउरा कुकाठ (प्रति ट्रक) | २५०० |
| ३० | दाउरा साखु (प्रति ट्रयाक्टर) | २५०० |
| ३१ | दाउरा कुकाठ (प्रति ट्रयाक्टर) | १५०० |
| ३२ | गोलिया साखु (प्रति ट्रक) | १०००० |
| ३३ | गोलिया साखु (प्रति ट्रयाक्टर) | ५००० |
| ३४ | गोलिया कुकाठ (प्रति ट्रक) | ५००० |
| ३५ | गोलिया कुकाठ (प्रति ट्रयाक्टर) | २५०० |
| ३६ | दाउरा (प्रति पावर टेलर) | ८५०० |
| ३७ | दाउरा (प्रति रांगा डाढी) | ६५०० |
| ३८ | बांस (प्रति गोटा) | १०० |
| ३९ | बांस (प्रति रांगा गाढी) | ३०० |
| ४० | बांस (प्रति ट्रक) | ४००० |
| ४१ | अम्लसो सिटा (प्रति ट्रक) | १६५०० |
| ४२ | अम्लसो सिटा (प्रति ट्रयाक्टर) | ८५०० |
| ४३ | खयर काठ, दाउरा (प्रति केजी) | २०० |

अनुसूची ६

विज्ञापन कर:

गाउँपालिका क्षेत्र भित्र कुनै उच्योगि, व्यापारि, व्यवशायी ले आफ्नो बस्तु वा सेवाको प्रचार प्रसारकालागि गरिने सूचना तथा सन्देशमुलक विज्ञापनहरूको हकमा देहाय बमोजिम विज्ञापन करको दर रहनेछ ।

| क्र.सं. | विवरण | दर रु | कैफियत |
|---------|---|---|---|
| १ | होडिंग वोर्ड मुख्य सडकहरू प्रति वर्ग फिट | ३०।० | |
| २ | होडिंग वोर्ड मुख्य सडक संग जोडिएका शाखा सडकहरू प्रति वर्ग फिट | २०।० | |
| ३ | होडिंग वोर्ड अन्य साखा सडक प्रति वर्ग फिट | १०।०० | |
| ४ | फ्ल्यास वोर्ड प्रति वर्ग फिट | १०।०० | |
| ५ | माथि उल्लेखित प्रकरण बाहेकका हकमा प्रति वर्ग फिट | ८।० | |
| ६ | व्यानर प्रति २ हप्ता | ३०।।० | |
| ७ | व्यानर व्यापारीक प्रति गोटा प्रति वर्ग फिट (दूई हप्ताकालागि) | २०।० | |
| ८ | गेट राख्न गाउँपालिकाको स्वीकृति लिएर मात्र प्रति हप्ता | ५०।।० | |
| ९ | प्रचार प्रसार सिटी रिक्सा समेत बाट मार्फिंग प्रतिदिन मात्र | २५।० | |
| १० | प्रचार प्रसार गाडिवाट प्रति दिन | ५।० | |
| ११ | राजनैतिक, धार्मिक र सामाजिक व्यानर ३ हप्तासम्म निःशूलक | निःशूलक (सो भन्दा बढि समयकालागि प्रति दिन रु १०।।०) | <ul style="list-style-type: none"> भित्तेलेखन लाई पूर्णत बन्देज गरिएकोछ । सडक क्रस गरेर व्यानर राख्न पाईने छैन । राजनैतिक दलको प्रचार प्रसार र सार्वजानिक सूचना तोकिएको समय सम्म निशुल्क वियर, मदिरा, चुरोट तथा सूर्तिजन्य पर्दाथको विज्ञापनलाई निजि तथा सार्वजानिक स्थलमा राख्न स्वीकृती दिइने छैन |

अनुसूची ७

मनोरञ्जन कर:

गाउँपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालन हुने सिनेमाहल, सांस्कृतिक प्रदर्शनी, नाचघर, दोहोरी संगीत, कन्सर्ट, जादु सर्कस, मेला तथा साहसिक खेल लगायतमा मनोरञ्जन करका दर देहाय बमोजिम हुनेछ ।

| क्र.सं. | मनोरञ्जनका क्षेत्र | करको दर | विशेष व्यवस्था |
|---------|---|---------|---|
| १ | गाउँपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित सिनेमा हलहरूबाट कुल सिट संख्याको ३५ प्रतिशत सिटलाई पुरा सिट संख्या मानि प्रत्येक टिकटमा लाग्ने प्रवेश शुल्कको । | ५ % | टिकटमा गाउँपालिकाको परिचय खुल्ने स्टिकर वा संकेत गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउनेछ । जती टिकटको संकेत नं. लिनेहो त्यतिको हुने कर अग्रिम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । |
| २ | १ मा उल्लेख भए बमोजिम प्रति टिकटमा मनोरञ्जन कर लिईने व्यवस्था नभए सम्मका लागि आर्थिक | ५,०००।० | |
| ३ | सांकृतिक प्रदर्शन हल, नाच घर, दोहोरी संगीत तथा अन्य मनोरञ्जन सामाग्रि प्रदर्शनि, कन्सर्ट समेत प्रति पटक | ५००।० | |
| ४ | जादु, सर्कस, चटके र मेला आयोजना स्थलमा मनोरञ्जन कर वापत अनुमतिका लागि गरीने सिफारीसका दस्तुरका अतिरीक्त प्रत्येक दिन | ५००।० | यस्तो कर अनुमति लिन आउंदा एक मुष्ठ रूपमा अग्रिम भुक्तानी लिईनेछ |
| ५ | ट्रैकिङ, कायाकिङ, प्यारागलाईडिङ, क्यानोनिङ, बन्ज जम्प, जिपफ्लायर, च्याफिटड, मोटरबाटो, केबुलकार सेवा लगायत अन्य जल तथा स्थलमा सञ्चालन हुने नविन पर्यटकीय सेवा तथा साहसिक खेलको शुल्क | | हाल यो अवस्था नदेखिएकोले सम्भाना रहेमा प्रकृति र सम्भावना हेरी राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसमा गाउँ कार्यपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुने |

अनुसूची द

बहाल बिटौरी कर तथा शुल्क

| क्र.सं. | विवरण | करको दर (वार्षिक) | यूनिट |
|---------|--|----------------------|--|
| १ | कामाटोलि बजार, सिमलबाडी बजार, कन्काई बजार, पन्थापाडा बजार, सरणामति बजार लगायतका गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका पर्ति, ऐलेनी जग्गा तथा अन्य अव्यवस्थित बसोबसीका हकमा कानून बमोजिम गाउँपालिका आफैले अस्थायी ठहरा वा छाप्रा निर्माण गरी अस्थाई पसल तथा व्यवशाय वा आवासको लागि उपलब्ध गराएकोमा प्रति धुर | १००।०० | |
| २ | कामाटोलि बजार, सिमलबाडी बजार, कन्काई बजार, पन्थापाडा बजार, सरणामति बजार लगायतका गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको पर्ति, ऐलेनी जग्गामा कानून बमोजिम गाउँपालिका आफैले नयाँ पक्कि भवन निर्माण गरी अस्थाई पसल तथा व्यवशाय वा आवासको लागि उपलब्ध गराएकोमा प्रति धुर | १५०।०० | |
| ३ | सिमलबाडी बजार, कन्काई बजार, पन्थापाडा बजार, सरणामति बजार लगायतका गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको पर्ति, ऐलेनी जग्गामा कानून बमोजिम गाउँपालिका आफैले अस्थायी ठहरा वा छाप्रा निर्माण नगरी कुनै व्यक्ति वा सस्थालाई अस्थाई पसल तथा व्यवशाय वा अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराएकोमा प्रति धुर | १५०।०० | कामाटोलि बजारको हकमा प्रतिधुर प्रतिवर्ष रु.३००/- |
| ४ | गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको अन्य ऐलेनी जग्गामा आवास, छाप्रा तथा ठहरा निर्माण गरी वा नगरी कुनै व्यक्ति वा सस्थाले अस्थाई रूपमा बसोबास, पसल तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरकोमा नियमानुसार कानूनी प्रकृयामा ल्याउने कार्यको सुरुवात संगै प्रति कट्टा | २०० | यसरी बहाल बिटौरी कर असुल गरेकै कारणले हकभोग भने कायम हुन सक्ने छैन |
| ५ | गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका माथि उल्लेख गरेबाहेक अन्य ऐलेनी जग्गाहरूले तिर्नुपर्ने बहाल बिटौरी कर प्रति कट्टा | रु ६०/- | यसरी बहाल बिटौरी कर असुल गरेकै कारणले हकभोग भने कायम हुन सक्ने छैन |
| ६ | गाउँकार्यपालिका, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकि वा गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेका सभाहलहरू कुनै अन्य संघ संस्था तथा कार्यालयलाई कार्यक्रम गर्नकालागि भाडामा दिदा देहाय बमोजिमको दैनिक भाडा दर लाग्नेछ, | | |
| ६.१ | कामाटोली बजारमा रहेको स्वास्थ्य चौकिमा रहेको सभाहल, सामुदायिक भवन तथा गाउँकार्यपालिका भवनमा रहेका सभा हल | १०००।० | अग्रिम भाडा रकम प्राप्त भए पछि मात्र प्रयोग गर्न पाईनेछ, |
| ६.२ | वडा कार्यालयको भवनमा रहेका सभाहल | ५००।० | |
| ७ | कामाटोली बजार क्षेत्रका अव्यवस्थित जग्गा खरिद विक्री प्रति धुर | १००००।०० | |
| ७.१ | कामाटोली बजार क्षेत्र बाहेकका बजार क्षेत्रका अव्यवस्थित जग्गा खरिद विक्री प्रति धुर | ४०००।०० | |
| ७.२ | बजार क्षेत्र बाहेका अन्य क्षेत्रका अव्यवस्थित जग्गा खरिद विक्री प्रति कट्टा | १०००।०० | |

अनुसूची ९

प्राकृतिक स्रोत उपयोग कर:

यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका जडिबुटी, कवाडि, जीवजन्तु, माटो, ढुङ्गा, गिट्टि, बालुवा लगायतका सबै खाले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्दा विकी तथा निकासी भइ जाने बस्तुहरूको हकमा गाउँपालिकाको अनुमति वा स्वीकृति लिन अनिवार्य रहनेछ । यसरी कुनै व्यक्ति तथा आधिकारिक संघ सस्थाहरूले गाउँपालिकाको स्वीकृतिमा प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्न चाहेमा गाउँपालिकाले स्वीकृति वा अनुमति दिन सक्नेको हकमा देहाय बमोजिमका प्राकृतिक स्रोतहरूमा देहाय बमोजिम प्राकृतिक स्रोत उपयोग करका दर निर्धारण गरिउनेछ ।

| प्राकृतिक स्रोत | करको दर रु | विशेष व्यवस्था |
|--|------------|--|
| १ माटो (प्रति क्यूबिक फिट) | १५० | १. गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्र भित्र गाउँ सभाले निर्धारण गरे बमोजिम तथा गाउँ सभा बाट निर्धारण नभइसकेका अवस्थामा बस्तु र प्रकृति हेरी राजश्व परामर्श समितिको सिफारिस मा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुने |
| २ ढुङ्गा, गिट्टि, बालुवा (प्रति क्यूबिक फिट) | ५० | २. संघीय तथा प्रदेश सरकार समेतको साभा अधिकार सूची भित्र रहि संघीय तथा प्रदेश सरकारले कर निर्धारण गरेको हकमा सोहि बमोजि प्राकृतिक स्रोत उपयोग कर असुलिको व्यवस्था मिलाईनेछ । |
| २.१ स्लेट, खरी ढुङ्गा (प्रति क्यूबिक फिट) | १०१० | |
| ३ कटानी भएका काठ, दाउरा, बांस, जराजुरी, विकि तथा निकासी प्रति के.जी. | १५ | |
| ३.१ काठ बाट बनेका सबै प्रकारका सामान विकि मूल्यको | १.५ % | |
| ४ जडिबुटी प्रति के.जी. | ५० | |
| ५ कवाडी सामान प्रति के.जी | १५० | |
| ६ जीवजन्तु | | |
| ६.१ जिउदो भेडा, बाखा, खसि बोका प्रति गोटा | ३०१० | |
| ६.२ जिउदो बंगुर, सुंगुर प्रति गोटा | ५०१० | |
| ६.३ जिउदो गाई, गोरु प्रति गोटा | १००१० | |
| ६.४ जिउदोराङ्गा, भैंसी, घोडा घोडी लगायत प्रतिगोटा | १२५१० | |
| ६.४ जीवजन्तुको छाला प्रति गोटा | ५०१० | |
| ७ माछा, मासु प्रति के.जी | १०१० | |
| ८ कुखुराको अण्डा प्रति कार्टून | १०१० | |
| ९ घाँस तथा खर विकि तथा निकासी प्रति के.जी. | १५० | |
| १० अन्न बालि प्रति के.जी | ०१५ | |
| ११ दालहन, तेलहन तथा गेडागुडी प्रति के.जी | ०२० | |
| १२ सब्र प्रकारका फलफुल तथा तरकारी (च्याउ समेत) प्रति के.जी | ०१० | |
| १३ दुध तथा दुध बाट बनेका पदार्थ विकि मूल्यको | ०.५ % | |
| १४ सुपारी प्रति के.जी | १० | |
| १५ पहाडे कागज, टपरी लगायतका स्थानीय | ०.५% | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | सिप र प्रविधिमा आधारित चिज बस्तु विक्रि मूल्यको | | |
|--|--|--|--|

अनुसूची -१०

हाटबजार कर:

गाउँपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालनमा रहेका तथा सञ्चालनमा आउने अस्थाई तथा घुम्ति दैनिक तथा साप्ताहिक हाट बजारमा सञ्चालन हुने पसल, बजार, व्यवसाय, सोवामा देहाय बमोजिमको करका दर रहनेछन् । गाउँपालिकाले हाटबजार कर उठाउन ठेककामा दिएको हकमा समेत सम्बन्धित ठेकेदारले निर्धारण गरिएको करका दर बमोजिम असुलि गर्नु पर्नेछ ।

अस्थाई तथा घुम्ति दैनिक तथा साप्ताहिक हाट, बजार, पसल तथा सेवा कर

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०७९/८० का लागि रु | कैफियत |
|--|---|-------------------------------|--------|
| क) माछा, मासु तथा अण्डा विक्रि गर्ने पसल सम्बन्धी | | | |
| १ | खसि, बोका, भेडा, च्यांग्रा काटि मासु विक्री गर्ने प्रति गोटा | १००१० | |
| २ | सुगुर बंगुर काटी मासु विक्रि गर्ने प्रति गोटा | ६०१० | |
| ३ | राँगा काटि मासु विक्रि गर्ने पसलमा प्रति गोटा | १२०१० | |
| ४ | माछा (सिंगै वा काटेर) विक्रि गर्ने पसल एक मुष्ठ | ५०१० | |
| ५ | परेवा, हासाँ, लोकल तथा बोइलर कुखुरा काटि मासु बेच्ने पसल | ५०१० | |
| ६ | माछा सिद्रा तथा सुकुटी पसल | ३०१० | |
| ज | हांस तथा कुखुराका अण्डा बेच्ने पसल | ३०१० | |
| ख) तरकारी तथा फलफूलसँग सम्बन्धित व्यवसायमा | | | |
| १ | फलफूल, नास्ता ठेलामा राखि विक्री गर्ने | ३०१० | |
| २ | साग सब्जी डोकामा वा डालामा ल्याई बेच्ने | २५१० | |
| ३ | भारमा सब्जी ल्याई बेच्ने | २०१० | |
| ४ | सिजन अनुसारको साग सब्जी आलु पसल ठूलोमा | २५१० | |
| ५ | सिजन अनुसारको साग सब्जी आलु पसल सानोमा | २०१० | |
| ६ | फलफूल सागसब्जी प्रति बयलगाडा | ४०१० | |
| ७ | फलफूल सागसब्जी प्रतिवोरा र अन्य साना फलफूल पसलमा | २०१० | |
| ग) खाद्य तथा पेय पदार्थ सँग सम्बन्धित | | | |
| १ | चामल, दाल, अदुवा, लसुन, खोर्सानी आदि एकै ठाउँमा राखि विक्रि गर्ने पसल | ३०१० | |
| २ | मकै पोली बेच्ने | १०१० | |
| ३ | किराना सामान विक्रि गर्ने पसल | २५१० | |

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| ४ | माछा मासु तरकारी सहितको नास्ता विक्रि गर्ने | ५०।० | |
| ५ | चिया, कफि तथा नास्ता पसल | ३०।० | |
| ६ | प्याजी, परौठा, रोटी लगायतका नास्ता पसल | ३०।० | |
| ७ | मुरै, भलमुरी तथा चटपटे तथा मामफुली पसल | ३०।० | |
| ८ | मिठाइ पसल | २५।० | |
| ९ | सितल पेय पदार्थ (सफ्ट ड्रिंक, फलफुलको रस आदी) | २५।० | |
| १० | मासु तथा ईजाजत प्राप्त मंदिरा विक्रि पसल | १००।० | |
| ११ | विस्कुट, पाउरोटी, केक लगायत बेच्ने पसल | २५।० | |
| १२ | ठेलामा चाउमिन, छोला, पानी पुरी बेच्ने | ३०।० | |
| घ) चिया पति तथा जडिबूटी | | | |
| १ | चिया पति बेच्ने पसल | १५।० | |
| २ | औषधिजन्य जडिबूटी विक्रि गर्ने पसल | २०।० | |
| ङ) कपडा तथा जुता चप्पलसँग सम्बन्धित व्यवसायमा | | | |
| १ | रेडिमेट कपडा विक्रि गर्ने पसलमा | ६०।० | |
| २ | थान कपडा विक्रि गर्ने पसलमा | ७५।० | |
| ३ | झुल तथा फाटा कम्पनीका कपडा | २५।० | |
| ४ | जुता चप्पल विक्रि गर्ने पसल ठूलो | ४०।० | |
| ५ | जुता चप्पल विक्रि गर्ने पसल सानो | २५।० | |
| ६ | तयारी झोला विक्रि गर्ने पसल | २५।० | |
| ७ | जुता चप्पल सिलाई गर्ने मोची | १०।० | |
| ८ | सिलाई मेसिन राखि कपडा सिलाउने | ५०।० | |
| च) परम्परागत सिप सँग सम्बन्धित व्यवसाय | | | |
| १ | धातुका भाँडा कुँडा बेच्ने पसल | ५०।० | |
| २ | माटाका भाँडा बेच्ने पसल | २०।० | |
| ३ | कूचो, कुनीया, डोको, नांगलो, घुम, ढाकि, मान्द्रो, भल्ला बेच्ने पसल (कुनै एक वा सबै) | ३५।० | |
| ४ | गरगहना पसल (सुन तथा अन्य धातुका) | १००।० | |
| ५ | चटिट, भल्ला विक्रि गर्ने पसल | २५।० | |
| ६ | राडि, पाखि, गलैचा विक्रि गर्ने पसल | १००।० | |
| छ) वित्र विजन तथा विरुद्ध बेच्ने पसल | | | |
| १ | वित्र विजन | २५।० | |
| २ | फलफुलका विरुद्ध | ३०।० | |
| ३ | फुलका विरुद्ध | २०।० | |
| ४ | सागा सब्जिका विरुद्ध | २०।० | |
| च) पशुपक्षी विक्रि सँग सम्बन्धित(साना तथा ठूला सबै) | | | |
| १ | जिउँदो खसि, बोका, बाखा, भेडा च्यांग्रा बेच्नेलाई प्रतिगोटा | विक्रि मूल्यको २५ प्रतिसत | ● एउटा मात्र हाँस, एक जोडि परेवा, एउटा कुखुरा बेच्नेलाई कर नलाग्ने |
| २ | गाई, गोरु, राँगा, भैसी, घोडा, गधा लगायत प्रतिगोटा | | |
| ३ | सुँगुर वंगुरप्रतिगोटा | | |

| | | | |
|--|--|------|--|
| ४ | हाँस, परेवा, कुखुरा बेच्नेलाई एक मुष्ठ | २५। | ● पशु हाटको हकमा गाउँपालिकाले छुट्टै ठेक्का बन्दोवस्त गर्न सक्नेछ । |
| छ) अन्य व्यवसायसँग सम्बन्धित कर | | | |
| १ | चुरा, पोते, धागो, टीका, ऐना, सृंगार तथा मनिहारी र कस्मेटिक सँग सम्बन्धित (कुनै एक वा सबै प्रकारका बस्तु) | ५०।० | नोट: उल्लेखित शिर्षकमा नपरेको व्यवसायको हकमा गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरी रु २५।० देखि रु १००।० सम्म तोक्न सक्नेछ । |
| २ | फोटो खिच्ने, फोटो फेम बनाउने | ४०।० | |
| ३ | मुरली, बाँसुरी, गुलेली, थैली, | २०।० | |
| ४ | जुम्हा, उडुस मार्ने औषधि बेच्ने | २५।० | |
| ५ | खेल, तमासा देखाउने लाई | ३५।० | |
| ६ | प्रचार, प्रसार गरी व्यवसाय गर्ने | २०।० | |
| ७ | बाँस प्रति बयल गाडा | ३०।० | |
| ८ | बाँस प्रति गोटा | ५।० | |
| ९ | खटियामा सामान राखी बेच्ने | २५।० | |
| १० | फलामका औजार तथा सामान बेच्ने | ५।० | |
| ११ | भाँडाकुडा पसल | ५।० | |
| १२ | फोटो फोमिङ | ३०।० | |
| १३ | घडी विक्रि पसल | ५।० | |
| १४ | हाते सिलाई मेसिन पसल (प्रति सिलाई मेसिन) | २५।० | |
| १५ | तस्विर, पत्रपत्रीका तथा पुस्तक विक्रि पसल | २५।० | |
| १६ | मर्मत सम्भार | | |
| १६.१ | कुकर, लाईट, छाता आदी मर्मत | २०।० | |
| १६.२ | रेडियो, घडी, टेलिभिजन लगायत मर्मत | ५।० | |
| १६.३ | साईकल तथा मोटर साईकल मर्मत | २५।० | |
| १६.४ | जुता चप्पल सिउने तथा मर्मत गर्ने | २०।० | |
| १६.५ | अन्य प्रकारका मर्मत सम्भार संग सम्बन्धित पसल | ५।० | |
| १७ | पान, सुर्ति, चुरोट, विडि, खैनी लगायत | ५।० | |
| १८ | सेलुन | | |
| १८.१ | कपाल तथा दारी काट्नेलाई (कुर्सी राखेर) | ३०।० | |
| १८.२ | कपाल तथा दारी काट्ने (पिरामा राखेर) | २०।० | |
| १९ | खेलौना तथा मनोरञ्जनका साधन विक्रि गर्ने पसल | ५।० | |
| २० | हाटमा कॉटा राखि खाद्यान्न खरिद विक्रि गर्ने | ७५।० | |
| २१ | हाटमा पल्ला राखि खाद्यान्न खरिदविक्रि गर्ने | ३५।० | |
| २२ | बोरा विक्रि (खालि तथा नयाँ तथा पुरानो) | ३०।० | |

अनुसूची -११

पार्किङ शुल्कः भापा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारीका साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए
वापत पार्किङ शुल्क दरदेहाय दबमोजिम हुनेछ ।

| सवारी पार्किङ सेवा शुल्क (प्रति ६ घण्टा) | | |
|--|-------------------------------------|------|
| १ | बस, ट्रक, लरी अन्य हेभी गाडी | २०१० |
| २ | माईक्रो, कार अन्य साना गाडी | १५१० |
| ३ | सिटि रिक्सा, ट्रेम्पो | १०१० |
| ४ | विदेशी बस, ट्रक, लरी अन्य हेभी गाडी | ३०१० |
| ५ | विदेशी माईक्रो, कार अन्य साना गाडी | २५१० |
| ६ | ठेला, रिक्सा, रिक्सा भ्यान | ५१० |

सवारी पार्किङ स्थान
गाउँ कार्यपालिकाले तोके
बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची १२

पर्यटन शुल्कः भापा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण गरेका उद्यान, पार्क, चिडियाखान, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा, संग्रहालय जस्ता सम्पदा उपयोग गरे वापत पर्यटकहरूबाट पर्यटन शुल्क देहाय बमोजिम हुनेछ ।

| पर्यटन शुल्क (स्थानीय स्तरका साना पर्यटकीय स्थलहरू) | | |
|---|--|-------|
| क. | स्वदेशी पर्यटककालागि पर्यटन शुल्क प्रति व्यक्ति | २५१० |
| ख. | स्वदेशी विद्यार्थी पर्यटककालागि (अध्ययन भ्रमण) प्रति व्यक्ति | १०१० |
| ग. | विदेशी पर्यटककालागि पर्यटन शुल्क प्रति व्यक्ति (भारत बाट आउने) | १००१० |
| घ | विदेशी पर्यटक (भारत बाहेककाको हकमा प्रति व्यक्ति | २००१० |
| ड | विदेशी विद्यार्थी पर्यटककालागि (अध्ययन भ्रमण) प्रतिव्यक्ति | ५०१० |

अनुसूची -१३

सिफारिस, सेवा शुल्क तथा दस्तुर :

संविधान तथा स्थानीय सरकार ऐन २०७४ ले प्रत्यायोजना गरेका अधिकार क्षेत्र भित्र रहि गाउँपालिका ले लगाउन तथा उठाउन पाउने सिफारिस, सेवा शुल्क तथा दस्तुर को दर रेट देहाय बमोजिम रहनेछ ।

१ व्यापार, व्यवसाय तथा सेवाको दस्तुर तथा शुल्क (सिफारिस शुल्क समेत):

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०७९।८० का लागि रु | कैफियत |
|--|---|----------------------------|--------|
| १.१ दस्तुर | | | |
| १.१.१ निवेदन दर्ता शुल्क तथा दस्तुर | | | |
| १.१.१.१ | मुद्दा मामिला दर्ताको हकमा प्रति मुद्दा दर्ता शुल्क | ४००।० | |
| १.१.१.२ | विविध सिफारिस सिफारिस शुल्क | २५।०।० | |
| १.१.२ व्यापारी, व्यवसायिलाई दिईने सबै प्रकारका प्रमाण पत्र प्रतिलिपि दस्तुर (प्रकृतिको आधारमा) | | | |
| १.१.२.१ | पसल व्यापार व्यवसाय | ५००।० | |
| १.१.२.२ | उद्योग व्यवसाय | १०००।० | |
| १.१.२.३ | ठेक्का पट्टा व्यवसाय | १०००।० | |
| १.१.२.४ | परामर्श सेवा व्यवसाय | १०००।० | |
| १.१.२.५ | सहकारी एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्था | १०००।० | |
| १.१.२.६ | अन्य | १०००।० | |
| १.१.३ | घर नक्सा पास किताब, लेआउट, सर्जिमिन, परिक्षण, प्रतिलिपि समेतको दस्तुर | | |
| १.१.३.१ | घर नक्सा पास निवेदन दस्तुर | २००।० | |
| १.१.३.२ | घर नक्सा पास किताब | ६००।० | |
| १.१.३.३ | घर नक्सा लेआउट | ७५।०।० | |
| १.१.३.४ | घर नक्सा निरीक्षण तथा सर्जिमिन | १०००।० | |
| १.१.३.५ | फिल्डमा भवन संहिता, घर नक्सा र भेरिफिकेसन प्रशिक्षण | १५००।० | |
| १.१.३.६ | नक्सा पास सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि | ५००।० | |
| १.१.३.७ | घर नक्साको प्रतिलिपि | १०००।० | |
| १.१.४ | नाम, उमेर, थर लगायतको संसोधन | २५।०।० | |
| १.१.५ | | | |
| १.१.५.१ | | | |
| १.१.५.२ | | | |
| १.१.६ | कन्सुलरकालागि आवश्यक विवरण | ७५।०।० | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| | तथा कागजात प्रमाणित | | |
| १.१.७ | सबै प्रकारका सरजमिन (घर नक्सा पास सर्जीमिन बाहेक) | ५००१० | |
| १.१.८ | गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने अन्य प्रमाण-पत्र (सेवा संग सम्बन्धित) | ७५०१० | |
| १.१.९ | घरबाटो प्रमाणीत (राजिनामा पास तथा रजिष्ट्रेशन र धितो बन्धक समेतकालागि) दस्तुर | | |
| क | पाँच कट्टा सम्मको | ५००१० | |
| ख | पाँच कट्टा भन्दा माथि | १०००१० | |
| १.१.१० घर नक्सा पास दस्तुर | | | |
| १.१.१०.१ | आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, इट वा ढंगा, सिमेण्टको प्रयोग भएका पक्कि घर | घर नक्सा पास | घर नक्सा अभिलेख |
| क | १००० वर्गफूट सम्म नक्सा पास गर्दा प्रति वर्गफूट | ६० | ८० |
| ख | १००१ वर्गफूट १५०० सम्मको लागि प्रति वर्गफूट | ७५० | ९० |
| ग | १५०१ देखि २५०० वर्गफूट सम्मको लागि प्रति वर्गफूट | १०१५० | ११० |
| घ | २५०१ देखि ४००० वर्गफूट सम्मको लागि प्रति वर्गफूट | १२१०० | १४० |
| ड | ४००१ वर्गफूट भन्दा माथि जतिसुकै भएपनि प्रति वर्गफूट | १४१० | १६० |
| १.१.१०.२ | अर्ध कच्चि वा पूर्ण कच्चि घर साथै पर्खाल | | |
| च | भुईतलामा पक्की दिवाल भइ माथि टीनको छाना भएको प्रति वर्गफूट | २७५ | ३५० |
| छ | काठको घर वा टाँडे घर प्रति वर्ग फुट | १७५ | २५० |
| ज | काठ तथा बाँसको सेण्टर बेरा सिमेण्टको प्लष्टर, जस्ता वा खरको छानाप्रति वर्ग फुट | २५० | ३० |
| झ | पूर्ण कच्चि घर एक मुळ | ७००१० | १०००१० |
| ञ | इटा वा ढुङ्गा र सिमेण्टको पक्कि पर्खाल प्रति रनिङ फिट | ६० | ८० |
| १.१.११ घर नक्सा नामसारी दस्तुर | | | |
| क | १००० वर्गफिट सम्म | ५००१० | |
| ख | १००१ देखि १५०० वर्गफूट सम्म | ७५०१० | |
| ग | १५०१ देखि २५०० वर्गफूट सम्म | १०००१० | |
| घ | २५०१ देखि ४००० बाँ फुट सम्म | १२००१० | |
| ड | ४००१ देखि माथि | १५००१० | |
| च | भुईतलामा पक्की दिवाल भइ माथि | ३००१० | |

| | | | |
|---|---|----------------------|--|
| | टीनको छाना भएको | | |
| छ. | काठको घर वा टाँडे घर | २००।० | |
| ज | काठ तथा बाँसको सेण्टर बेरा सिमेण्टको प्लष्टर, जस्ता वा खरको छाना | २५०।० | |
| भ | पूर्ण कच्च घर | १५०।० | |
| ज | इटा वा हुंगा र सिमेण्टको पक्कि पर्खाल प्रति रनिङ्ग फिट | २।० | |
| १.१.१२ सम्पति तथा आयश्रोत मूल्याङ्कन शुल्क | | | |
| १ | अचल सम्पति मूल्यांकन सेवा शुल्क प्रतिलाख | १००।० | |
| २ | आयश्रोत मूल्यांकन प्रमाणीत शुल्क प्रतिलाख | ७।० | |
| १.१.१३ घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क | | | |
| क. | कृषि क्षेत्रप्रति कट्टा | | |
| ख. | आवासीय क्षेत्र प्रति कट्टा | | |
| ग. | व्यापारिक क्षेत्र प्रति कट्टा | | |
| घ. | औद्योगिक क्षेत्र प्रति कट्टा | | |
| ङ. | पर्यटकीय क्षेत्र प्रति कट्टा | | |
| च. | बगर तथा ढाँै क्षेत्र प्रति कट्टा | | |
| छ. | अन्य(गाउँपालिकाको वर्गीकरणका आधारमा) | | |
| १.१.१४ | विभिन्न रसिद, व्यक्तिगत घटना लगायत अन्य प्रतिलिपि | ५।०।० | पन्जिकरणको हकमा प्रचलित ऐनबमोजिम हुने |
| १.१.१५ | गिटी, हुंगा तथा बालुवा स्टक/सञ्चय गरे बापतको शुल्क | | खेतियोग्य जमिनमा थुपारे बापत यसको दोब्बर लाग्नेछ |
| १.१.१५.१ | प्रति ट्याक्टर | ७।०।० | |
| १.१.१५.२ | प्रति टिपर | २००।० | |
| १.१.१६ | गाउँपालिकाको स्वमित्वमा रहेका पसल तथा सटर कबलहरू गाउँपालिकामा निस्चित रकम अग्रिम भुक्तानी गरी व्यवशाय सञ्चालन गर्ने व्यवशायीले निजको व्यवशाय बिकि गरेको हकमा निज व्यवशायले उक्त पसल तथा सटर कबलनै उपयोग गर्न चाहेमा निजकै नाममा नयाँ सम्झौत गरी दिन सकिने छ साथै नयाँ सम्झौता बमोजिम सेवा शुल्क | २५००।० | |
| १.१.१७ | घरपालुवा कुकुर दर्ता शुल्क प्रति गोटा | २५।०।० | |
| १.१.१८ | अन्य प्रकार दस्तुरको हकमा प्रकृति हेरी गा.पा. निर्णय बमोजिम | २०० देखि ७५।०।० सम्म | गा.पा.को निर्णय बमोजिम |

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| १.१.१९ | विविध सिफारिस (माथि उल्लेख गरिए बाहेकका) | २५०/० | |
| १.१.२१ | घरधुरी परिचयपत्र प्रतिलिपि दस्तुर | १००/- | |

१.२ व्यवशाय तथा सेवाको सिफारिस शुल्क

| १.२.१ घर र जग्गा सम्बन्धीका सबै खाले सिफारीस (घरजग्गा कायम र निर्माण सम्पन्न समेत) शुल्क | | | |
|--|---|--|---|
| क | पक्की घर प्रमाणीत प्रथम तलाका लागि (अरसिसि पिलर, ईटा तथा सिमेण्टको जोडाई आरसिसि ढलान छाना) | ५००।० | त्यस पछिको प्रति तलामा थप रु २५०।० |
| ख | अर्ध पक्कि घर प्रमाणीत (ईटा तथा सिमेण्टको जोडाई र जस्तापाता, टालि तथा खरको छाना) | ४००।० | यसले टाडेघर लाई समेत जनाउछ । त्यस पछिको प्रति तला थप रु १००।० |
| ग | कच्ची घर प्रमाणीत -काठ तथा सिमेण्टको खावो, काठ तथा बासको भाटा, सिमेण्ट प्लष्टर र जस्तापाता, टालि तथा खरको छाना) | २००।० | त्यस पछिको प्रति तला थप रु ५०।० |
| घ | पुर्ण कच्च (काठ तथा बासको खावो, बासको भाटा र खर तथा परालको घेरावेरा र खर तथा परालको छाना) | १००।० | |
| ड | चर किल्ला सिफारीस तथा प्रमाणित | | जग्गा जमिनको सिफारिस तथा प्रमाणित गर्दा एउटै सिफारीसमा फरक ठाउँको जग्गा भए एउटै सिफारीसलाई मान्यता दिने |
| ड १ | १० कट्टा सम्म | ५००।० | |
| ड २ | १० कट्टाभन्दा माथि | १०००।० | |
| च | घर जग्गा नामसारी सिफारीस | | |
| च.१ | घर नामसारी सिफारिस (१००० वर्गफुट सम्मको) | ७५०।० | सो भन्दा माथिको हकमा प्रति वर्ग फुट थप रु ०।५० |
| च.२ | जग्गा नामसारी तथा नामसारी सिफारीस (१० कट्टा सम्म) | १०००।० | सो भन्दा माथि प्रति कट्टा थप रु १००।० |
| छ | मोही नामसारी तथा मोही बैंडफाँड सिफारीस (१० कट्टा सम्म) | ७००।० | सो भन्दा माथि प्रति ५ कट्टा थप रु २५०।० |
| ज | मोही लगत कट्टा सिफारीस (१० कट्टा सम्म) | ७००।० | सो भन्दा माथि प्रति ५ कट्टा थप रु २५०।० |
| झ | अपुताली सिफारीस दस्तुर (१० कट्टा सम्म) | २०००।० | सो भन्दा माथि प्रति ५ कट्टा थप रु ५००।० |
| ञ | हकभोग तथा जोतभोग तथा छुट दर्ता सिफारीस (१० कट्टा सम्म) | ५००।० | सो भन्दा माथि प्रति ५ कट्टा थप रु २५०।० |
| १.२.२ अमिन बाट गरीने सबै प्रकारका सिफारीसहरू | | | |
| १.२.२.१ मारा निवेदको आधारमा जग्गा छट्याउने काम | | सँगै गासिएको एकै जग्गाधनीको जमिन भए प्रतिकित्ता रु ५००/- | |
| क | प्रतिकित्ता | १५००।० | |

| | | | |
|---------|---|--------|--|
| ख | बैकिड प्रयोजनका लागी बाटो प्रमाणित | १५००।० | थप हुने। |
| ग | माथि उल्लेखीत बाहेकको हकमा | ५००।० | |
| १.२.३ | बसोवास प्रमाणीत | ५००।० | |
| १.२.३ | घर कोठा खोल्ने सिफारिस | | |
| क | व्यवसायिक घर कोठा खोल्ने | ७५०।० | |
| ख | आवासिय घर कोठा खोल्ने | ५००।० | |
| १.२.४ | बीमा प्रयोजनका लागि गरिने सिफारिस | | |
| १.२.५.१ | उद्योग तथा कलकारखाना भएको आगलागि सिफारिस | | <ul style="list-style-type: none"> उद्योगको वर्गीकरण कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ बीमा प्रयोजन बाहेकका सबै प्रकारका आगलागि सम्बन्धी सिफारिस निशुल्क हुने |
| क | लघु उद्योग | २५०।० | |
| ख | घरेलु उद्योग | ५००।० | |
| ग | साना उद्योग | १०००।० | |
| घ | मझौला उद्योगमा | ३०००।० | |
| ड | ठूला उद्योगमा | ७५००।० | |
| १.२.५.२ | ब्यापार, व्यवशाय तथा पसल कोठामा भएको आगजनी | | |
| क | रु १ करोड भन्दा माथिको लगानी भएको | १५००।० | |
| ख | रु १ करोड सम्मको लगानी भएको | १०००।० | |
| ग | रु ५० लाख सम्मको लगानी भएको | ८००।० | |
| घ | रु २५ लाख सम्मको लगानी भएको | ७००।० | |
| ड | रु १० लाख सम्मको लगानी भएको | ५००।० | |
| १.२.५.३ | सर्वसाधारणको घर टहरामा आगलागि सिफारिस | २५०।० | |
| १.२.५.४ | पशु विमाकालागि गरिने सबै प्रकारका सिफारिस | २००।० | |
| १.२.५.५ | कृषि बालि विभाकालागि गरिने सबै प्रकारका सिफारिस | १५०।० | |
| १.२.५.६ | स्वास्थ्य विमा सिफारिस (प्रति व्यक्ति) | ५०।० | |
| १.२.६ | नागरिकता सँग सम्बन्धित सिफारिस | | |
| क | नागरिकताको सिफारिस | ५००।० | उल्लेखित दरमा संधीय ऐन बाझिन गए सोही बमोजिम गरिने। |
| ख | नागरिकतासर्जिमिन | ५००।० | |
| ग | नागरिकताको प्रतिलिपि | ५००।० | |
| घ | अंगीकृत नागरिकता | १०००।० | |
| ड | बैवाहीक अंगीकृत नागरिकता | १०००।० | |
| १.२.७ | पञ्चकरण सँग सम्बन्धी प्रमाणित सिफारिस | | |
| क.१ | नाता प्रमाणितन्यूनतम(२ जना सम्मको) | ३००।० | अग्रेजीमा सिफारिस गर्नु पर्नेको हकमा थप शुल्क लाग्ने छैन। |
| क.२ | नाता प्रमाणीत २ जना भन्दा माथि | ५००।०० | |
| ख | विवाह प्रमाणीत | ५००।० | |
| ग | जन्म प्रमाणीत | ५००।० | |

| | | | |
|-----|---|--------|---|
| घ | मृत्यु प्रमाणीत | २००।० | |
| ड | बसाईसराई प्रमाणीत | ३००।० | |
| च | अविवाहीत प्रमाणीत (विदेश जानेको हकमा) | | स्वदेशी प्रयोजनका लागि रु५००/- लाग्नेछ। |
| च.१ | २१ वर्ष देखि ३० वर्ष सम्म उमेरको | १७००।० | |
| च.२ | ३१ वर्ष उमेर देखि माथि | २०००।० | |
| छ. | नवालक परिचय पत्र | ५००।० | |
| ज | जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्त, असहाय परिचय पत्र | | निशुल्क |
| झ | चालचलन सिफारिस | ३००।० | |

१.२.८ व्यक्तिसँग सम्बन्धित सिफारीस (उल्लेखित सिफारीसमा सर्जिमन गर्न परेमा सो को दस्तुर पुन लाग्ने छ)

| | | | |
|---|---|--------|--|
| क | चारीत्रिक एवम् सूचीकृत वर्ग सिफारीस स्थायी बसोवास भएका लागि | ३००।० | अंग्रेजीमा सिफारिस गर्नु पर्नेको हकमा थप शुल्क लाग्ने छैन। |
| ख | चारीत्रिक एवम् सूचीकृत वर्ग सिफारी स्थायी बसोवास नभएको हकमा | ३००।० | |
| ग | नेपाली पेन्सन पट्टा बाहकका लागि गरेको जुनसुकै सिफारीस | ३००।० | |
| घ | भारतिय पेन्सन बाहकका लागि जुनसुकै सिफारीस | ५००।० | |
| ड | अन्य देशका पेन्सन बाहाकको हकमा | १०००।० | |
| च | कृषि संग सम्बन्धित सिफारीसको हकमा बोरीड गर्न समेत | १५०।० | |
| छ | वैदेशीक रोजगारीमा मृत्यु हुनेको सिफारीस | ०।० | निशुल्क |
| ज | व्यवसाय बन्द सिफारीस | ५००।० | |

१.२.९ उच्चोग दर्ता सिफारीस

१.२.९.१ खाद्य तथा पेय पदार्थ, प्रशोधन तथा उत्पादन गर्ने

| | | | |
|---|--|--------|--|
| क | दाल, चामल, चिउरा, भुजिया लगायतका उपभोग्य बस्तु | २५०।० | ● चुक्ता पूँजी रु २५ लाख माथि १ करोड सम्मका लाई थप रु ५००।० |
| ख | पाउरोटी तथा केक | २००।० | |
| ग | मसला तथा मसला जन्य पदार्थ | ५००।० | |
| घ | चाउचाउ, विस्कुट, कन्फेक्सनरी, सस लगायत | १०००।० | ● चुक्ता पूँजी १ करोड भन्दा माथिकालागि प्रति कारोड थप रु ७५०।० |
| ड | वरफ, जुस लगायत | १५००।० | |
| च | हल्का पेय पदार्थ | २०००।० | |
| छ | डिस्टीलरी उच्चोग | ५०००।० | |
| ज | माथि उल्लेख नभएका खाद्य पदार्थ प्रशोधन तथा उत्पादन गर्ने सबै प्रकारका उच्चोगहरूलाई | १५००।० | |

१.२.९.२ चिया तथा जडिबुटी

| | | | |
|---|---|--------|--------------------------|
| क | चिया, कफि फारम, चिया, कफि प्रशोधन केन्द्र | २५००।० | ● चुक्ता पूँजी रु २५ लाख |
|---|---|--------|--------------------------|

| | | | |
|---|-------------------------|--------|--|
| ख | जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र | १५००१० | माथि १ करोड सम्मका लाई थप रु ५५०१० <ul style="list-style-type: none"> चुक्ता पूँजी १ करोड भन्दा माथिकालागि प्रति कारोड थप रु १०००१० |
|---|-------------------------|--------|--|

१.२.९.३ पशु आहार उत्पादन तथा प्रशोधन

| | | | |
|---|---------------------|--------|---|
| क | पशु आहार पिलेट दाना | १०००१० | <ul style="list-style-type: none"> चुक्ता पूँजी रु २५ लाख माथि १ करोड सम्मका लाई थप रु २५०१० चुक्ता पूँजी १ करोड भन्दा माथिकालागि प्रति कारोड थप रु ५००१० |
| ख | पशु आहार सामान्य | ५००१० | |

१.२.९.४ अन्य उद्योगहरू

| | | | |
|---|---|-------------------------------|--|
| क | कपडा (सबै प्रकारका कपडा, ढाका तथा अन्य) उद्योग | ५००१० | <ul style="list-style-type: none"> चुक्ता पूँजी रु २५ लाख माथि १ करोड सम्मका लाई थप रु ५००१० चुक्ता पूँजी १ करोड भन्दा माथिकालागि प्रति कारोड थप रु १०००१० |
| ख | सलाई उद्योग | २०००१० | |
| ग | प्लाई उद्योग | ३०००१० | |
| घ | काष्ठ उद्योग | २०००१० | |
| ड | मिल सहितको काष्ठ उद्योग | २५००१० | |
| च | फर्निचर उद्योग मात्र | १०००१० | |
| छ | बेतबांस फर्निचर | ५००१० | |
| ज | प्लाष्टीक उद्योग | ५०००१० | |
| छ | जुता चप्पल उद्योग | १५००१० | |
| ज | स्टेशनरी उद्योग, छपाई उद्योग | १०००१० | |
| झ | ग्रील उद्योग | २०००१० | |
| ञ | गलैचा तथा राडिपाखि उद्योग | १५००१० | |
| ट | गर्मेन्ट उद्योग | ७०००१० | |
| ठ | ईटा उद्योग -आधुनीक भट्टा जडित) | ५०००१० | |
| ड | ईटा तथा टायल (आधुनीक यन्त्र जडान नगरीएको) | २०००१० | |
| ढ | सिमेण्ट विक बनाउने | १०००१० | |
| ण | तामा आल्मुनीयम जस्ता धातु उद्योग | १५००१० | |
| त | प्रेश बाहेक प्रन्टीड | ५०००१० | |
| थ | चुरोट विडी | १५०००१० | |
| द | लुव्रिकेन्ट्स उद्योग | १००००१० | |
| ध | माथि उल्लेख नभएका उद्योगहरूको हकमा उद्योगको प्रकृति हेरी | ६००१० देखि २००००१० सम्म | |

१.२.११ निजी शिक्षण संस्था, धार्मिक शिक्षण संस्था तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र दर्ता लगायत शिक्षा तथा शैक्षिक उन्नयन संग सम्बन्धित अन्य कामका लागि सिफारिस

| | | | |
|---|----------------|--------|---|
| क | पूर्व प्राथमिक | १०००१० | <ul style="list-style-type: none"> गाउँपालिकास्वयम्‌ले दर्ता गर्नु पर्नेको हकमा सिफारि |
| ख | आधारभुत तह | १५००१० | |

| | | | |
|---|---|---------|---|
| ग | माध्यमिक | २५००।० | <p>शुल्कको १५ प्रतिसत थप गरी दर्ता शुल्क लिईनेछ ● कक्षा थपको सिफारिस शुल्क प्रति विद्यालय रु. ५००/-</p> |
| घ | उच्च मावि | ५०००।० | |
| ड | क्याम्पस (स्नातक तह वा सो भन्दा माथि) | १००००।० | |
| च | प्राविधिक शिक्षण संस्था | ७०००।० | |
| छ | स्तर बृद्धि सिफारिस प्रति विषय | ५००।० | |
| ज | तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र (ट्यूसन सेण्टर समेत) | ५००।० | |
| झ | शैक्षिक उन्नयन संग सम्बन्धित अन्य | ७५०।० | |

१.२.१२ विभिन्न संघसम्पादन दर्ता लयागत अन्य कार्यकालागि गरिने सिफारिस

| | | | |
|----|--------------------------------------|-------|--------------------------------|
| क | वैक खाता खोल | २५०।० | उपभोक्ता समितिको हकमा निःशुल्क |
| ख | महिला तथा बालबालिका संग सम्बन्धित | २००।० | |
| ग | अन्य सामाजिक संघ सम्पादन | ५००।० | |
| घ | सामाजिक संघ सम्पादन बाहेककालागि | ७५०।० | |
| ड | संघ सम्पादन नविकारणको हकमा | ४००।० | |
| च. | संस्थागत अन्य सिफारिस | १५०।० | |

१.२.१३ विद्युत, खानेपानी लगायतका अन्य सिफारिस

क . विद्युत जडान तथा मिटर सिफारिस

| | | | |
|---|---|----------|--|
| १ | कृषि व्यवसाय तथा सिचाई प्रयोजन समेत | २००।० | |
| २ | उद्योग, कलकारखाना, पसल तथा व्यवसाय र व्यवशायीयक भवन समेत (थ्रिफेज लाईन जडान सिफारिस समेत) | ७५०।० | |
| ३ | आवासीय घरमा | २५०।० | |
| ४ | सकुम्वासी र सिमान्तकृत परिवारकालागि | निःशुल्क | |

ख खानेपानीको धारा जडान वा खानेपानी सँग सम्बन्धित सिफारिस

| | | | |
|---|---|----------|--|
| १ | कृषि व्यवसाय | २००।० | |
| २ | उद्योग, कलकारखाना, पसल तथा व्यवसाय र व्यवशायीयक भवन समेत | ५००।० | |
| ३ | आवासीय घरमा | २००।० | |
| ४ | सकुम्वासी तथा सिमान्तकृत परिवारकालागि | निःशुल्क | |

ग. रुख काट्ने तथा उपलब्ध गराउने सिफारिस (सखुवा, खयर वा कडा जातको रुखको हकमा समेत)

| | | | |
|---|---|---------|---|
| १ | नम्बरी जग्गाको रुख कट्ने प्रति रुख (कडा जातको) | १५०।० | <p>शुल्कको १५ प्रतिसत थप गरी दर्ता शुल्क लिईनेछ ● कक्षा थपको सिफारिस शुल्क प्रति विद्यालय रु. ५००/-</p> |
| २ | दाउराको प्रयोजनका लागि कमसल प्रकारको काठ कटान प्रति गोटा | १००।० | |
| ३ | काठ आपुर्ति सिफारिस | ५००।० | |
| ४ | काठ कटान गरी अन्यत्र लाने सिफारिस | १०००।०० | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|-------------------------------------|
| | प्रति टथाक्टर | | |
| घ. अन्य सिफारिस | | | |
| १ | सिनेमा हल खोल्ने | १०००।० | |
| २ | सिमित समयकालागी मेला सर्कस सञ्चालन अनुमति | ५००।० | |
| ३ | टेलीफोन जडान | २००।० | |
| ४ | अन्य माथि उल्लेख नभएका | ५००।०- १०००।० | गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम |
| ५ | योजना सञ्चालन व्यवस्थापन गैर सरकारी संस्थाको हकमा | २५।० | |
| ६ | सुकुम्बासी जग्गा जोतभोग सिफारिस | ५००।० | |
| ७ | कर चुक्ता प्रमाण पत्र सिफारिस | ३००।० | |
| ८ | आर्थिक सहायता, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, प्राकृतिक प्रकोप, पूर्ण अपाङ्गता, सामाजिक शुरक्षा भत्ता, विपन्नता सिफारिस | निशुल्क | |
| ९ | सामुदायिक वनमा रुख काट्ने सिफारिस प्रतिरुख | ५।० | |
| १० | लेनदेन सम्बन्धी तमसुक प्रमाणित | रु २००/- | |

१.३ उद्योग, कलकारखाना, कृषि फर्म, व्यापार तथा व्यवसाय र अन्य सेवाका दर्ता:

गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने सबै प्रकारका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, शहकारी संस्था, निजी विद्यालय, निर्माण व्यवशाय लगायतको दर्ता गर्दा देहाय बमोजिमको अधिकृत पूँजीको आधारमा दर्ता शुल्क लाग्नेछ ।

| क्र.सं. | अधिकृत पूँजी रु | दर्ता शुल्क रु | कैफियत |
|---------|---------------------------|----------------|--------|
| १ | ५० हजार सम्म | ६००।० | |
| २ | ५० हजार १ देखि १ लाख सम्म | ७५।० | |
| ३ | १ लाख १ देखि २ लाख सम्म | १०००।० | |
| ४ | २ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | १२००।० | |
| ५ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | २०००।० | |
| ६ | १० लाख १ देखि २५ लाख सम्म | २५००।० | |
| ७ | २५ लाख १ देखि ५० लाख सम्म | ४०००।० | |
| ८ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ६०००।० | |

महिलाको नाममा दर्ता गरे
५०% छुट हुनेछ ।

| | | | |
|----|--------------------------------|---------|--|
| ९ | १ कारोड १ देखि २ करोड सम्म | १०००१० | |
| १० | २ कारोड १ देखि ५ करोड सम्म | १५०००१० | |
| ११ | ५ कारोड १ देखि माथि प्रति करोड | ४०००१० | |

नोट:

- एकपटक व्यवसाय दर्ता गरेपश्चात प्रत्येक आ.व. मा व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने छ
- नवीकरण गर्दा व्यवसाय कर चुक्ता गरेको हुनुपर्ने छ
- दण्ड जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था अनुसूची १४ बमोजिम रहने छ ।

प्रयोगशाला (ल्याब) सेवा शुल्क

झापा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा संचालन गरिएको ल्याबमा परिक्षण गर्दा देहाय बमोजिमको सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको छ

| S.N | INVSTIGATION | RATE | REMARKS |
|-----|----------------------------|-----------|---------|
| 1 | CBC | 120/- | |
| 2 | ESR | 30/- | |
| 3 | HB | 50/- | |
| 4 | WIDL | 130/- | |
| 5 | SUGAR | EACH 40/- | |
| 6 | BILIRUBIN T&D | 150/- | |
| 7 | BLOOD GROUPING | 50/- | |
| 8 | URICACID | 130/- | |
| 9 | UREA | 125/- | |
| 10 | CREATININE | 125/- | |
| 11 | VDRL 100 | 100/- | |
| 12 | HBASG | 250/- | |
| 13 | RA FACTOR | 200/- | |
| 14 | CRP | 200/- | |
| 15 | URINE R/E | 50/- | |
| 16 | STOOL R/E | 50/- | |
| 17 | URINE PREGNANCY TEST (UPT) | 50/- | |
| 18 | ANC PACKAGE | FREE | |
| 19 | MALARIA TEST | FREE | |
| 20 | DENGUE TEST | 500/- | |
| 21 | LIPID PROFILE | 600/- | |
| 22 | L.F.T | 500/- | |
| 23 | SPUTUM FOR AFB | FREE | |

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७९।८० का लागि रु | कैफियत |
|-------|---|-------------------------------|--|
| १ | ३५ दिन भित्र दर्ता भएका व्यक्तिगत घटना | निःशुल्क | |
| २ | ३५ दिन नाघि दर्ता हुने व्यक्तिगत घटना | २००।० | अन्यत्रबाट बसाई सरी आएका र बसाई सर्नुपूर्व अन्यत्र बाटै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु पर्नेमा सो नगरी बसाई सरे पछि यस गाउँपालिकामा दर्ता हुने व्यक्तिगत घटनादर्ताको हकमा थप रु ५०।० |
| ३ | गाउँपालिकाले तोकेको निशेधित क्षेत्र तथा छिमेकिलाई असर पर्ने गरी घर छेउ, चोक लगायतका क्षेत्रमा फोहोर फाल्नेका हकमा | ५००।० | फोहोर उठाउन लागेको रकम समेत थप लिने |
| ४ | निशेधित प्लास्टिक प्रयोगमा ल्याउनेको हकमा | ७५।० | |
| ५ | कान्जि हाउस तथा छाडा पशुपन्थी नियन्त्रण (जथाभावि चौपाय छोड्नेका हकमा प्रतिदिन प्रति चौपाय) | | ७ दिन सम्म पनि चौपाया लिन चौपाया धनी नआएमा गाउँपालिकाले लिलाम गर्ने छ । |
| ५.१ | खसि, बाखा, भेडा च्यांग्राआदी | ७५।० | पाठापाठिको हकमा खुराकी खर्च प्रति दिन रु ५०।० |
| ५.२ | गाई, गोरु, राङ्गा, भैसी, घोडा, सुंगुर बंगुरघरपालुवा कुकुर, लगायत | १५०।० | खुराकी खर्च थप रु १००।० प्रतिदीन । बाढा बाछि र पाडापाडिको हकमा सो को ५० % थप |
| ५.३ | माथि उल्लेखित बाहेकका चौपायाको हकमा | १००।० देखि २००।० सम्म | खुराकी रु १००।० प्रतिदिन । |

| | | | |
|-----|--|----------------------------|--|
| ५.४ | हांस तथा कुखुरा प्रति गोटा | ५०।० | |
| ६ | मालपोत बक्यौता | | |
| | ६० साल भन्दा पछाडीको मालपोत बक्यौता हकमा समेत आगामी आ.व.का लागि प्रस्ताव भए बमोजिम प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले जरीवाना | १० % | |
| ७ | सम्पति कर बक्यौता | | |
| ७.१ | एक वर्ष सम्मको बक्यौताका लागि | १० % | |
| ७.२ | दुई वर्ष सम्मको बक्यौताका लागि | २०% | |
| ७.३ | तीन वर्ष वा सो भन्दा बढि बक्यौताका लागि | ३०% | |
| ८ | भुद्धा विवरण पेश गर्नेकालागि | | |
| ८.१ | सम्पतिको विवरण | मुल्याङ्कनको थप ०.१ % | |
| ८.२ | उद्योग, व्यापार तथा व्यवशायको विवरण | मुल्याङ्कनको थप ०.१ % | |
| ८.३ | गाउँपालिकाले मागेका अन्य विवरण | ५००।० | |
| ८.४ | घर बाटो सिफरिसको विवरण | ५००।० | |
| ९ | म्याद भित्र विवरण उपलब्ध नभएमा लिईने थप शुल्क | | |
| ९.१ | प्रथम वर्ष | १० % | |
| ९.२ | दासो र तेस्रो वर्ष | १५% | |
| ९.३ | चौथो र पाँचौ वर्ष | २५% | |
| १० | अर्कालाई अष्टेरो पार्ने नियतले रुख, पर्खाल लगाउने, घर टहरा निर्माण गर्ने | १०००।० देखि ५०००।० सम्म | गाउँपालिकाले हटाउंदाको खर्च समेत थप गरि लिने |
| ११ | सबै प्रकारका पसल तथा व्यवशाय खोली गाउँपालिकामा दर्ता नगरी | | |

| | | | |
|------|--|--------|---|
| | अनुमति बेगर सञ्चालन गरिरहेको (प्रथम वर्षकालाई) | | |
| ११.१ | १ वर्ष सम्म नआएकोलाई आधार दरमा थप | १०% | |
| ११.२ | २ वर्ष सम्म नआएकोलाई आधार दरमा थप | २५% | |
| ११.३ | ३ वर्ष सम्म नआएकोलाई आधार दरमा थप | ५० % | यस पछि प्रति वर्ष दोब्बर हुँदै जाने |
| १२ | सार्वजनिक बाटो लागायत सांधसविंयारीलाई बाधा अवरोध पुने गरी ढल, नाला, चर्पि, सेफिट टैंकि बनाउनेलाई | १५००।० | १. गाउँपालिकाले हटाउँदाको खर्च समेत थप गरि लिने २. बाटोमा १२ र १३ मा भएको घटनाका आधारमा हुने सम्भावित हानि नोक्सानीको जिम्मेवारी समेत संबन्धित व्यक्ति बाटै असुल उपर गर्ने |
| १३ | इजाजत बेगर सार्वजनीक स्थान, बाटो, घोडेटो, गोरेटो घेर्ने, गाई बस्तु बांध्ने, माटो, गिटी बालुवा तथा ढुङ्गा लगायतका सामान राखि आफ्नो प्रयोगमा ल्याउने लाई | ५०।० | |
| १४ | विना अनुमति सार्वजनिक सम्पतिको हानि नोक्सानी, अतिक्रमण वा अपचलन गर्ने, | २५००।० | त्यस सम्पतिलाई दुरुस्त पार्न लाग्ने खर्च समेत थप |
| १५ | विना अनुमति सार्वजनिक जग्गामा वा त्यस्तो जग्गा मिचि घर, टहरा आदी निर्माण गर्ने | ५०००।० | घर टहरा भत्काउदा र हटाउँदा लागेको खर्च समेत असुल गर्ने |
| १६ | कृनै किसिमका यन्त्र उपकरण जोडि वा कृनै उपकरण वा मनोरञ्जनका साधन द्वारा छर छिमेक वा समाजमा शान्ति भइ हुने कृयाकलाप गर्नेलाई | ७५।० | हटाउन लाग्ने खर्च समेत असुल गर्ने |
| १७ | पशलहरूमा मूल्य सूची नराङ्गेलाई | १५।० | देखि व्यवशायको प्रकृति हेरी अनुगमन टोलिको सिफारिसमा |

| | | ५१००१० सम्म | कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने |
|------|--|-------------------------------|---|
| १८ | आफ्नो नाममा रहेको खेति योग्य जग्गा जमिन बांझो राख्नेलाई प्रति कठ्ठा | मालपोत रकमको २५ प्रतिसत | |
| १९ | निशेधित क्षेत्र बाट ढुङ्गा, गिटि, बालुवा, माटो लगायतका चिज बस्तु निकालेमा | | |
| १९.१ | प्रति द्वयाक्टर | ६०००१० | १. एक पटक भन्दा बढी पटक को हकमा प्रति पटक दोब्बर हुदै जानेछ |
| १९.२ | प्रति टिपर | १७०००१० | |
| १९.३ | नदी जच्य सामाग्रिको हकमा नम्बरी जग्गा बाट समेत निकाल्न पाईने छैन यदी निकालेको हकमा संबन्धित जग्गा धर्नीलाई एक मुँछ | १००००१० | प्रति पटक दोब्बर हुदै जानेछ। |

अनुसूची -१४

दण्ड सजाय तथा जरिवाना:

- क. मालपोत बक्यौता जरिवाना सम्बन्धमा प्रति वर्ष १०% थप शुल्क जरिवाना लाग्नेछ
 ख. व्यवसाय कर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र बुझाए ५% छुट हुनेछ, ३ महिनादेखि १२ महिनाभित्र भुझाए तोकेबमोजिम र आर्थिक वर्ष पश्चात् उल्लिखित करका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको थप जरिवाना लाग्नेछ

| | |
|------------|-----|
| प्रति वर्ष | १०% |
|------------|-----|

नोट:

- दुई पटक भन्दा बढी गाउँपालिकाको आदेश नमान्नेलाई तोकेको जरिवानामा थप जनिवानामा स्वरूप रु ५००१० देखि २५००१० सम्म आदेशको अवज्ञा जरिवाना लिने साथै निजको हकमा गाउँपालिका बाट दिईने वा उपलब्ध हुने सबै प्रकारका सेवा सुविधा बन्द गर्न सक्ने।
- एक पटक जरिवाना भोगि सकेको व्यक्ति वा संस्थाले पुन सोहि प्रकारको गलित दोहोन्याएमा प्रति पटक दोब्बर जरिवाना गरिने।
- अन्य बांकिको हकमा प्रचलित कानून तथा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन बमोजिम हुनेछ।

- माथि उल्लेख गरिए बाहेकका कुनै पनि क्षेत्रमा जरिवाना गर्नु पर्ने अवस्था आएमा कर तथा राजश्व परामर्श तथा व्यवस्थापन समितिको शिफारिसमा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम उपरोक्त दरहरूमा नघटने गरी तोक्ने । तर कारण वस तत्काल जरिवाना गर्नु पर्ने भए कार्यपालिकाले पछि अनुमोदन गर्ने गरी अनुगमन टोली वा राजश्व परामर्श समितिको संयोजकको सुझाव तथा निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जरिवाना तोकि असुल उपर गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । तर यसरी गरिएको जरिवाना गाउँ कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गर्न भने अनिवार्य हुनेछ ।
- गाउँपालिकाले दण्ड जरिवानाको विषय कार्यान्वयनमा त्याउनु पूर्व सर्वसाधारण नागरिक वा गाउँवासीलाई सर्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराउने ।

आयतफ

| क्र.स. | स्रोत | रकम |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| १ | संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदान | ९९,६९,००,००० |
| २ | संघीय शास्त्र अनुदान | २२,०३,००,००० |
| ३ | संघीय सम्पुरक अनुदान | ५०,००,००० |
| ४ | संघीय विशेष अनुदान | १,१५,००,००० |
| ५ | संघीय राजस्व वाँडफाँड | ९,७८,४९,२०० |
| ६ | प्रदेश वित्तीय समानीकरण अनुदान | ७३,६२,००० |
| ७ | प्रदेश सम्पुरक अनुदान | ९६,६०,००० |
| ८ | प्रदेश शास्त्र अनुदान | ८१,२५,००० |
| ९ | प्रदेश राजस्व वाँडफाँड | ४३,२१,००० |
| १० | आन्तरिक स्रोत | १,८०,००,००० |
| जम्मा | | ४९,९०,९७,२०० |

आज्ञाले

गजेन्द्र थपलिया

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत